रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1997 (फाल्गुन 10, 1918)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1997 (PHALGUNA 10, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बंबई, दिनांक 1 मार्च 1997

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं०एफ० (8) 70/बी/5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथासंशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में दिसम्बर 1996 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदनों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग मुंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है।

"सूची क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
		कलकत्ता सर्किल			
		3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण 1946			
सी० ए० 315090	रु० 5,000/-	मनी मोहन प्रामाणिक (मृत)	64वां तक का ब० वा० ब्याज अदा किया गया।	हेमन्त कुमार प्रामाणिक	फाइल सं० 1–2505 दिनांक 12–12–96 का महाप्रबंधक का आदेश। दिनांक 01–01–1997 का डी० पाई० सं० एल० सी० ओ० 127/96–97 देखिए।

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
		अहमदाबाद सर्किल			
		3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण 1946			
ए० डी० 003983	900/—	समाहर्ता, भावनगर	16–9–1973	समाहर्ता भावनगर [(निम्नलिखित न्यासों (ट्रस्ट) के न्यासी (ट्रस्टी) की हैसियत से]	खोया हुआ मामला सं० एल० एम०/एस०/311 मु० म० प्र० के दिनांक 1–11–96 के आदेश एवं केन्द्रीय
ए० डी० 005989	100/—		16–9–1976	1. बासाहब ऑफ तलाजा	कार्यालय के दिनांक 1–11–96 डायरी
ए० डी० 007379	200/—		16–3–1977	2. भावसिंहजी चोरासी सं० 118 निधि	
ए० डी० 010058	1300/—		16–9–1981	3. नागनाथ महादेव निधि	
				4. मालनाथ महादेव निधि	

1	2	3	4	5	6
		9 प्रतिशत राहत बांड 1987 (अहमदाबाद सर्किल)			
ए० डी० 001428	रु० 20,000	प्राणलाल भार० शींगाला और सविता पी० शींगाला	30-1-92	सविता पी० शींगाला	खोया हुआ मामला सं० एल० एन०/एस०/328 मु० मं० प्र० के दिनांक 24-10-96 के आदेश एवं केन्द्रीय कार्यालय के दिनांक 24-10-96 डायरी सं० 115
ए० डी० 001429	रु० 10,000	—वही—	3-2-92	—वही—	—वही—
ए० डी० 001185	रु० 25,000	—वही—	1-2-91	—वही—	—वही—
ए० डी० 001292	रु० 25,000	—वही—	6-9-91	—वही—	—वही—
		अहमदाबाद सर्किल			
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 श्रेणी 'ए'			
ए० डी० 004927	100 ग्राम सोना	नरेन्द्र नवीन चन्द्र	26-10-79	संजीव रमेश चोक्सी	खोया हुआ मामला सं० एल० एन०/एस०/76 मुख्य महा प्रबन्धक के दिनांक 16-3-96 के आदेश एवं केन्द्रीय कार्यालय के दिनांक 18-3-96 की डायरी सं० 243 ए०

वि० डी० चौहान
कृते मुख्य महाप्रबन्धक

लोक ऋण कार्यालय

कानपुर-208001, दिनांक 1 मार्च 1997

भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी/52 और भारत के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण सं० 67 के अंतर्गत लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में जनवरी, 1997 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची जो गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो तत्काल मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, कानपुर को सूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची 'क'

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लीकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार/रों का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
6½% आई० एम० सी० बाण्ड्स 1988					
के० एम० 000039	15000/-	बैंक आफ बड़ौदा	दसवीं छमाही से ब्याज देय	प्रोव्हीडेंट फंड आफ हिन्द केमिकल्स लि०	फाइल सं० एल० एम० जी० 237 उप महा-प्रबंधक आदेश सं० आई० आर० 1528/61 दिनांक 20-6-96
के०एम० 000034	5000/-	भारतीय स्टेट बैंक	5-6-80	हिन्द केमिकल्स लि०, इम्प्लाईज प्राविडेंट फंड ट्रस्ट.	फाइल सं० एल० एम० जी० 242 उप महा-प्रबंधक आदेश सं० आई० आर० 1530/61 दिनांक 20-6-96

सूची 'ख'

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु० ग्राम	नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लीकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार/रों का/के नाम	जारी किए गये आदेश की सं० तथा तारीख	लोक ऋण अधिनियम 1944 के अंतर्गत सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें प्रतिभूति पहली बार प्रकाशित की गई थी।

——— शून्य ———

कृते मुख्य महाप्रबन्धक

यूनियन बैंक आफ इंडिया

औद्योगिक संबंध विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400 021, दिनांक 20 दिसम्बर 1996

क. 3(एफ)/20-12-96—यूनियन बैंक आफ इंडिया का निदेशक मण्डल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पढ़ा गया धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों को यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 कहा जा सकेगा।

(2) ये प्राधिकृत गजट में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 के विनियम 4 में (जिसे इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा) सामान्य दण्ड शीर्ष के अंतर्गत खंड (डी) के बाद निम्नलिखित खंड का समावेश किया जाएगा अर्थात् :—

(ए) "(इ) संचित प्रभाव के बिना और अधिकारी के पेन्शन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए काल वेतनमान निम्नतर प्रक्रम में अवनति"।

(बी) "गंभीर स्वरूप वाले दण्ड शीर्ष के अंतर्गत खंड (इ) (एफ) (जी) और (एच) को पुन: खंड (जी) (एच), (आय) और (जे) में क्रमांकित किया जाएगा"।

(सी) पुन: क्रमांकित किए गए खंड (जी) के पहले निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा अर्थात् :—

"(एफ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वेतन के काल वेतनमान निम्नतर प्रक्रम तक उक्त अवनति (इ) में प्रावधान को छोड़कर अतिरिक्त निदेश सहित कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान अधिकारी वेतन वृद्धि अर्जित करेगा अथवा

नहीं और क्या यह अवनति ऐसी अवधि की समाप्ति पर उसके वेतन की आगामी वेतन वृद्धियों के स्थगन का प्रभाव रखेगी या नहीं ।''

(जी) पुनः क्रमांकित किए गए खंड (जी) के एवज में निम्नलिखित को लिया जाएगा अर्थात् :—

''(जी) किसी निम्नतर श्रेणी या पद पर अवनत किया जाना ।''

3. मूल विनियम के विनियम 6 के उप विनियम (1) के खंड (इ), (एफ), (जी) और (एच) शब्द, कोष्ठक, और आंकड़ों के लिए विनियम 4 के खंड (एफ), (जी), (एच), (आय) और (जे) के शब्द, कोष्टक, एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित कि जा सकते हैं ।

4. मूल विनियम के विनियम 8 के उप विनियम (1) में विनियम 4 के खंड (ए) से (ओ) शब्द, कोष्टक और आंकड़ों के लिए विनियम 4 के खंड (ए) से (इ) के शब्द, कोष्टक एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं ।

5. मूल विनियम के विनियम 17 के उप विनियम के प्रथम प्रावधान में विनियम 4 के खंड (इ), (एफ), (जी) और (एच) शब्द, कोष्टक और आंकड़ों के लिए विनियम 4 के खंड (एफ), (जी), (एच), (आय) एवं (जे) के शब्द कोष्ठक, एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं ।

6. मूल विनियम के विनियम 18 के प्रथम प्रावधान में विनियम 4 के खंड (इ), (एफ), (जी) या (एच) शब्द, कोष्टक और आंकड़ों के लिए विनियम 4 के खंड (एफ), (जी), (एच), (आय) या (जे) के शब्द, कोष्टक एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं ।

नोट : यूनियन बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधनों को गजट के धारा 4 भाग 3 में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया था अर्थात् :—

क्रम संख्या, अधिसूचना क्र. और दिनांक
22 भाग 3 धारा 4—3-6-89

वी. वी. नाईक
उप महा प्रबंधक (कार्मिक)

दिनांक 29 जनवरी 1997

सं. यूटी/डी डी डी एम/एस पी डी-85/आर-206/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा-21 के अंतर्गत बनाए गए 'प्राइमरी इक्विटी फंड' के प्रावधानों में संशोधन, जिन्हें 18 दिसम्बर, 1996 को परिसंचरण के जरिए अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

प्राइमरी इक्विटी फंड के प्रावधानों में संशोधन

1. इस योजना में खण्ड 3 'परिभाषाएं' में मौजूद उप-खंड (झ क) 'निगमित निकाय' में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण और (झ क) जोड़े जाते हैं :

(झ क) 'निगमित निकाय' में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी अथवा समय-समय पर प्रचलित किसी राज्य अथवा केन्द्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित सोसायटी शामिल है; इस अभिव्यक्ति में बैंक, वित्तीय संस्थाएं और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां शामिल होंगी ।

(ञ क). 'विदेशी निगमित निकाय (ओसीबी)' में विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्में, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी न्यासों जिनमें कम से कम 60% लाभकारी हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो ।

2. खण्ड 5 ''यूनिटों के लिए आवेदन'' के उप-खण्ड (1) में निम्नलिखित (5), (6) एवं (7) मदें जोड़ी जाती हैं :

(5) समितियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित कम्पनियों सहित अन्य निगमित निकाय ।

(6) अनिवासी भारतीयों द्वारा कम से कम 60% की सीमा तक स्वामित्व वाली अ-निवासी कम्पनी/विदेशी निगमित निकाय ।

(7) सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आईआई) ।

3. मौजूदा खण्ड 9 ''भुगतान विधि'' में उप-खण्ड (3) एवं (4) निम्नानुसार जोड़े जाते हैं :

(3) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि: एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी, उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा ।

इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है :—

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट ।

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्क कर्ता बैंकों पर आहरित हो ।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा ।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो।

यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विप्रेषण किया जाएगा। यदि अधिशेष होगा तो उसे विनिमय की प्रभावी दर पर ऐसे विप्रेषण के लिए बैंक प्रभार की कटौती करने के बाद एनआरआई निवेशकों को वापस विप्रेषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें।

(ङ) विदेशी संस्थागत निवेशक अपना अंशदान विदेश से प्रत्यक्ष विप्रेषण द्वारा अथवा भारत में नामांकित बैंक के साथ कायम रखे गए अपने विशेष अ-निवासी रुपए खाते से दे सकते हैं।

(4) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी।

तथापि भा.रि. बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए.श्रृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी।

जबकि इन मामलों में यूटीआई एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपयों में अदायगी करेगा निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर लाभांश का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें।

5. खण्ड 9 के मौजूदा उप खण्ड 5 'यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अंतर्गत अपेक्षा का अनुपालन करना होगा' के पहले पैराग्राफ को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

योजना में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यास से आवेदन करने पर न्यास विलेख, नाबालिग की ओर से आवेदन करने पर जन्म प्रमाण-पत्र, अनिवासी भारतीय के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक विनियम के अनुसार आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो, कम्पनियों इत्यादि के मामले में संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम जो निवेश की श्रेणी पर निर्भर करेगा, प्रस्तुत करना होगा।

6. खण्ड 9 "भुगतान विधि" के मौजूदा उप-खण्ड (3) (4) और (5) को (5), (6) और (7) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

7. खण्ड 10 "नाबालिग और ट्रस्ट द्वारा आवेदन और उनका पंजीकरण" के उप-खण्ड (1) एवं (3) निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं :

(1) पात्र न्यास, निगमित निकाय, ओसीबी और एफआईआई यूनिट धारकों के रूप में पंजीकृत किए जा सकते हैं।

(3) पात्र न्यासों, निगमित निकायों, आदि द्वारा किए गए आवेदनों के साथ यूनिटों में निवेश करने की आवेदकों की सक्षमता दर्शाने वाले संबंधित दस्तावेज जैसे न्यास विलेख, संस्था के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम, उप-नियम आदि, यूनिटों में निवेश का अनुमोदन करते हुए प्रबंध समिति आदि द्वारा किए गए संकल्प की अधिकृत प्रति तथा अपेक्षित अटर्नी अधिकार की एक प्रति भी लगानी पड़ेगी।

8. खण्ड 11 "यूनिटों की बिक्री और आबंटन की तिथि" का अंतिम वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

पात्र न्यास एवं निगमित निकाय को जारी किया गया यूनिट प्रमाणपत्र ऐसे न्यास अथवा निगमित निकाय के नाम पर होगा।

9. खण्ड 29 "यूनिटधारकों द्वारा नामांकन" का उप-खण्ड (2) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

नाबालिग की ओर से जो माता-पिता अथवा अभिभावक यूनिटधारक हैं, उन्हें और पात्र न्यास, निगमित निकाय, विदेशी निगमित निकाय (ओसीबी) तथा विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) को नामांकन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

मुम्बई, दिनांक 30 जनवरी 1997

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर-207/एसपीडी-185/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टरगेन 1992) के प्रावधान, जिन्हें कार्यकारिणी समिति द्वारा 16 अप्रैल, 1992 को आयोजित बैठक में अनुमोदित तथा कार्यकारिणी समिति की क्रमशः 9 नवम्बर 1992, 22 दिसम्बर 1993, 31 जनवरी 1994, 19 दिसम्बर 1994, 6 मार्च 1995 और 18 जुलाई 1996 की बैठकों में संशोधित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

ए. जी. जोशी

महाप्रबन्धक

व्यवसाय विकास एवं विपणन

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना-1992 (मास्टरगेन-1992)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है :

1 विशिष्टताएं

* सतत खुली वृद्धि योजना।
* बालिग/नाबालिग निवासी और अनिवासी व्यक्तियों/अविभक्त हिन्दू परिवारों/न्यासों/निगमित निकायों (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों और बैंकों सहित)/विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी)/विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए खुली।
* शुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित कीमत पर पुनर्खरीद।
* प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीकरण के जरिए चलनी-करण।

जोखिम के तत्व

* योजना के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) को ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो को प्रभावित करने वाली बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है ।

* ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है । इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

* पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि वे इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें ।]

योजना की विस्तृत विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टर-गेन-92) कही जाएगी ।

(2) यह योजना 20 अप्रैल, 1992 से लागू होगी ।

(3) यूनिटों की बिक्री 20 अप्रैल, 1992 से 18 मई, 1992 तक होगी ।

[1][योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 1 जनवरी, 1997 से संपूर्ण वर्षभर कही-बन्दी की अवधि, जो लेखा वर्ष में 45 दिनों से अधिक नहीं होगी, को छोड़कर, खुली रखी जाएगी ।]

लेकिन अध्यक्ष या कार्यपालक न्यासी योजना के आरम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री, प्रमुख अखबारों में या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किसी अन्य रीति से 7 दिन की पूर्व सूचना देकर, स्थगित 2 [ ] कर सकते हैं ।

2. उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूनिटधारकों को उनके द्वारा यूनिटों में किए गए निवेश पर अच्छी वृद्धि वाली संभावित कम्पनियों के इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय बान्डों/डिबेंचरों एवं मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश करके पूंजी वृद्धि करना है ।

3. परिभाषाएं :

इस योजना में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963

(ख) 'आवेदक' का अर्थ वह व्यक्ति है, जिसने योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन किया हो और इसके आगे खंड 5 में अधिक विस्तृत रूप से वर्णित व्यक्तियों की सभी श्रेणियां शामिल हैं ।

(ग) 'स्वीकृति तिथि' अथवा ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को दिए गए आवेदन के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ उस तिथि से है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है ।

(घ) 'निगमित निकाय' में समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत समिति, अथवा किसी राज्य या प्रचलित केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत स्थापित ऐसी समिति, जो इसके आगे 'समिति' से संदर्भित हो । इस अभिव्यक्ति में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां और बैंक शामिल होंगे ।

(ङ) 'आबंटन' की तिथि 1[स्वीकृत तिथि] होगी ।

(च) 'पात्र न्यास' का अर्थ विनियमों के विनियम 2 के खंड (एएए) के अन्तर्गत जो दिया गया है, वही होगा ।

(छ) 'सूचीबद्ध' का अर्थ शेयर बाजार में जो प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत उस समय मान्यताप्राप्त हो, में व्यापार के प्रयोजनार्थ यूनिटों के सूचीबद्ध होने से है ।

(ज) 'अवरुद्ध अवधि' का अर्थ है योजना के अन्तर्गत यूनिटों के आबंटन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि, जिसके बाद ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद शुरू की जाएगी ।

2[(जक) 'अनिवासी भारतीय (एनआरआई)' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है । जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पित् पक्ष या मातृ पक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो ।]

(झ) 'निगमित यूनिटों की संख्या' का अर्थ बिक्री किए गए और बकाया यूनिटों की समग्र संख्या से है ।

2[(झक) 'विदेशी निगमित निकाय (ओसीबी)' सहित विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्में, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हों ।]

(ञ) 'विनियमावली' का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत निर्मित भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 से है ।

(ट) 'मान्यताप्राप्त शेयर बाजार' का अर्थ है ऐसा शेयर बाजार जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत तत्समय मान्यताप्राप्त हो ।

1. 18-7-96 को जोड़ा गया ।

2. "या विस्तारित" 18-7-96 को हटाया गया ।

1. '1-8-1992' के लिए 18-07-96 को प्रतिस्थापित ।

2. 18-07-96 को जोड़ा गया ।

(ठ) 'योजना' का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 से है ।

[1][(ठक) 'सेबी' का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जिसे भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत स्थापित किया गया ।]

(ड) 'व्यापार' का अर्थ किसी भी शेयर बाजार के माध्यम से यूनिटों की खरीद या बिक्री के रूप में किये जाने वाले लेन देन से है ।

(ढ) 'यूनिट' का अर्थ इस योजना की यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य के एक अविभक्त शेयर से है ।

(ण) अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें दिये गये हैं ।

4. अंकित मूल्य प्रति यूनिट

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा ।

5. यूनिटों के लिए आवेदन

(1) निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा यूनिटों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं :—

(1) एक व्यक्ति अथवा कई व्यक्ति (3 से अधिक नहीं) जिनमें से कोई नाबालिग न हो; [2][किसी भी खंड में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, योजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण की स्थिति में, या तो उन शेयर बाजारों के जरिए जहां योजना सूचीबद्ध है या अन्यथा, योजना के अंतर्गत (अंतरितियों) को कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर यूनिटों को धारण करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और कथित अंतरितियों द्वारा इस सुविधा हेतु किए गए अनुरोध पर ट्रस्ट द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।]

(2) इसके ऊपर यथा परिभाषित निगमित निकाय;

(3) [3][ ]

(4) पात्र न्यास विनियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार और विनियमों में दी गई सीमा तक;

[4][(5) हिन्दू अविभक्त परिवार] और

[5][(6) अनिवासी व्यक्ति, एचयूएफ और ओसीबी-प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर । अनिवासी प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश कर सकते हैं, बशर्ते निवेशण विदेशी मुद्रा में या तो एफसीएनआर खाते से अथवा एनआरई खाते से या सीधे किया गया हो ।

(7) सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो ।]

(2) आवेदन नाबालिग और अन्य व्यक्ति की ओर से संयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा ।

(3) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म में ही किया जाएगा ।

(4) आवेदन न्यूनतम 200 यूनिटों के लिए और उसके आगे 100 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा ।

(5) [6][ ]

(6) (क) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन के साथ नकद, चैक, ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा । चैक एवं ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखाओं पर आहरित होने चाहिए जिस शहर के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया जाता है । तथापि, अगर आवेदक उस स्थान से यूनिटों के लिए आवेदन करना चाहता है, जहां ट्रस्ट का कार्यालय नहीं है, तो वह ट्रस्ट के नजदीक कार्यालय को आवंटित यूनिटों के लिए बैंक ड्राफ्ट के साथ जिसमें से बैंक ड्राफ्ट के लिए देय प्रभार घटाया गया हो, आवेदन कर सकता है ।

(ख) यदि भुगतान चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो स्वीकृति तिथि, उस चैक या ड्राफ्ट के नकदीकरण के अधीन, वह तिथि होगी जिस तिथि को चैक अथवा ड्राफ्ट, जो भी मामला हो, ट्रस्ट द्वारा अथवा प्राधिकृत बैंक की नामित शाखा द्वारा अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा प्राप्त किया गया हो । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है तो स्वीकृति तिथि, उस ड्राफ्ट की वसूली के अधीन, ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी । बशर्ते ट्रस्ट द्वारा अथवा प्राधिकृत बैंक की नामित शाखा अथवा, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा [7][ड्राफ्ट के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आवेदन प्राप्त किया गया हो] । यदि आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान के रूप में भेजी गई राशि, आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि और देय अन्य प्रभार वसूल करने हेतु, कम पड़ जाए तो उसके द्वारा आवेदित यूनिटों के आसपास 100 यूनिटों के गुणकों में यूनिटें जारी की जाएंगी और शेष राशि यदि कोई उसको देय हो, तो उसे ट्रस्ट जैसा उचित समझे, उस रीति से, उसके खर्च पर वापस कर दी जाएगी ।

(ग) यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा पावती के साथ अथवा पावती रहित आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा; और इसी तरह भेजे गए यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलीवरी अथवा डिलीवरी न हो जाने के लिए ट्रस्ट जिम्मेवार नहीं होगा ।

---

1. 18-07-96 को जोड़ा गया ।
2. 09-08-93 को जोड़ा गया ।
3. 'नाबालिग की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य वैध अभिभावक' को 18-07-96 को निकाल दिया गया जो 01-01-97 से प्रभावी होगा ।
4. 03-03-93 को जोड़ा गया ।
5. 18-07-96 को जोड़ा गया ।
6. 'प्रत्येक आवेदक को 5000 तक मास्टरगेन यूनिट (रु. 50,000/-) आवंटित किए जाएंगे और उसके बाद आवंटन ट्रस्ट के विवेकाधीन होगा जो समग्र अभिदान को ध्यान में रखकर किया जाएगा' को 18-07-96 को निकाल दिया गया ।
7. 'ऐसी अवधि जिसे ट्रस्ट द्वारा उचित समझा जाए' के लिए 18-07-96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

(घ) ट्रस्ट द्वारा, किसी पात्र न्यास, अथवा संस्था निगमित निकाय को जारी किया गया यूनिट प्रमाण पत्र उस न्यास अथवा संस्था अथवा निगमित निकाय के नाम पर किया जाएगा ।

7. निगमित निकायों/समितियों/पात्र संस्थाओं /न्यासों और नाबालिगों द्वारा आवेदन एवं पंजीकरण :

(1) पात्र न्यासों, निगमित निकायों और समितियों को यूनिटधारकों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ग) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । ट्रस्ट आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणपत्र के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) पात्र न्यास, समितियां अथवा अन्य निगमित निकायों द्वारा किए गए आवेदनों के साथ, यूनिटों में निवेश करने की आवेदक की क्षमता दिखाने वाले संबंधित दस्तावेजों, जैसे अंतर्नियम और बहिर्नियम, न्यास विलेख, उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित किए गए संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित अटर्नी अधिकार की प्रति भी साथ में पेश करनी होगी ।

[1][7क. खर्चों पर सीमा :

आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	1.00
कमीशन भुगतान	1.25
अभिरक्षण शुल्क	0.25
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.30
योग	3.00

उपर्युक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्यूच्युअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के साप्ताहिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां विनियमों/सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी ।]

8. यूनिटों की बिक्री :

ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । ऐसी बिक्री संविदा के पूर्ण होने पर, ट्रस्ट अथवा उसका एजेंट, जो भी मामला हो, इसके आगे [2][जितनी जल्दी संभव हो], उसके लिए आवेदक को एक पावती भेज देगा । [3][आवेदन पत्र की स्वीकृति तिथि से छः सप्ताह के भीतर], ट्रस्ट, आवेदक को 100 यूनिटों के विपणन योग्य लाट में अधिकतम [3][20] प्रमाणपत्र जारी करेगा और इससे अधिक निवेश के लिए एक समेकित प्रमाणपत्र जो उसको बिक्री किए गए शेष यूनिटों को दर्शाएगा, जारी करेगा । यह समेकित प्रमाणपत्र यूनिटधारक के अनुरोध पर, एक बार मुफ्त में विभाजित किया जाएगा ।

[4][तथापि, यूनिटधारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर ट्रस्ट, अपने विवेक के अनुसार और अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्रों को प्रत्येक 10,000 यूनिटों के मूल्य-वर्ग के विपणन योग्य लाट में समेकित करेगा । शेष यूनिटें प्रत्येक 100 यूनिटों के लाट में जारी की जाएंगी । 10,000 यूनिटों के मूल्य-वर्ग में जारी किए गए यूनिट प्रमाणपत्र, यूनिटधारक के अनुरोध पर 100 यूनिटों के गुणकों में, एक बार मुफ्त में विभाजित किए जाएंगे । जम्बो सर्टिफिकेट में समाविष्ट यूनिटों को पुनर्खरीद/अंतरण/प्रेषण/पुनः क्रय करने हेतु ट्रस्ट/यूनिटधारक यथा अपेक्षित प्रक्रियात्मक/परिचालनगत औपचारिकताओं का अनुपालन करेंगे ।]

[5][8क स्विच ओवर विकल्प :

इसके प्रावधानों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार योजना की वैधता-अवधि के दौरान/योजना की समाप्ति पर [6][ ] इस योजना के यूनिटधारकों तत्समय आरम्भ की गई अथवा परिचालन में रहनेवाली किसी अन्य योजना/प्लान में ट्रस्ट द्वारा निर्णित और घोषित मूल्य (मूल्यों) पर, विधि एवं रीति में तथा निबंधन एवं शर्तों के अधीन स्विचओवर की अनुमति देगा ।]

[7][8ख निवेश उद्देश्य :

योजना के अंतर्गत संगृहीत निधियां, सभी आरम्भिक निर्गम व्ययों के लिए प्रावधान करने के बाद, सामान्यतः योजना के उद्देश्य के अनुरूप निम्न प्रकार से निवेश की जाएंगी :

(1) योजना की कम से कम 80% निधि का इक्विटी और इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में निवेश किया जाएगा । इक्विटी निवेशों में जोखिम मध्यम से उच्च होगा ।

(2) योजना की निधियों का 20% तक ऋण एवं मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा । निवेश में जोखिम न्यून से मध्यम होगा ।

1. 18-07-96 को जोड़ा गया ।
2. 'उसके बाद जितनी जल्दी संभव हो' के लिए दिनांक 18-07-96 को प्रतिस्थापित ।
3. "10" के लिए 19-12-94 को प्रतिस्थापित ।
4. 19-12-94 को जोड़ा गया ।
5. 6-3-95 को जोड़ा गया ।
6. 'योजना के विस्तार के मामले में' 18-7-96 को निकाल दिया गया ।
7. 18-07-96 को जोड़ा गया ।

उपरोक्त के बावजूद मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश इस पारे में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा ।]

9. [1][शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का अभिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा ।]

[2][इन प्रावधानों में किसी भी बात के अंतर्विष्ट होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में होगा ।]

10. यूनिटों का कारोबार :

(क) [3][यूनिटों को मुम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर और जयपुर के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है ।] ट्रस्ट सप्ताह में एक बार शुद्ध आस्ति मूल्य घोषित करेगा और कोट करने के प्रयोजनार्थ सभी शेयर बाजारों को मूल्य की सूचना देगा ।

(ख) यदि कोई यूनिट धारक अपने यूनिटों का तरलीकरण करना चाहता है तो वह किसी भी शेयर बाजार के माध्यम से यूनिटों का कारोबार कर सकता है ।

(ग) ट्रस्ट प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से मूल्य या मूल्यों का, जिन पर बाजार के माध्यम से यूनिट का क्रय या विक्रय किया जा सकता है, उल्लेख नहीं करेगा । फिर भी अंतिम मूल्यों, जिन पर शेयर बाजार में यूनिटों का क्रय या विक्रय किया गया, का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में किया जाएगा । तथापि, ट्रस्ट यूनिटों को शेयर बाजारों की सूची से हटाने का अधिकार अपने पास रखता है, यदि यूनिटधारकों या ट्रस्ट के हित में ऐसा करना आवश्यक हो ।

(घ) यूनिटों के क्रेता को बाजार के माध्यम से स्वयं या किसी मान्यताप्राप्त दलाल के द्वारा अंतरण विलेख और संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के रजिस्ट्रार के पास यथास्थित पाए जाने पर अंतरण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए ।

(ङ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय द्वारा अंतरण हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा और ट्रस्ट किसी भी प्रयोजन के लिए यूनिटधारकों से व्यवहार नहीं करेगा ।

(च) किसी भी मूल्य पर बाजार के माध्यम से यूनिटों का क्रय या विक्रय यूनिटधारक या भावी यूनिटधारक की जोखिम पर होगा । फिर भी, यूनिट के अंतरण पर देय स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अंतरण तिथि से पूर्व तिथि को प्रचलित उच्च और निम्न मूल्य का औसत प्रभार का आधार होगा ।

[4]10(क) यूनिटों की पुनः खरीद :

योजना के प्रावधानों में कुछ भी प्रतिकूल अंतर्विष्ट होने के बावजूद :

(क) जब कभी यूनिटों के भाव में उनके एनएवी से 10% या अधिक की कमी होती है तो ट्रस्ट योजना के अंतर्गत बाजार से प्रचलित मूल्य पर यूनिट खरीद सकता है।

(ख) ट्रस्ट किसी एक वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत जारी यूनिट पूंजी का 25% तक समग्र सीमा के रूप में पुनः खरीद कर सकता है । जो यूनिट पुनः खरीदे जाएंगे उनका प्रतिदान किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

(1) "बाजार" का तात्पर्य ऐसे मान्यताप्राप्त शेयर बाजार से है जिस पर इस योजना के अंतर्गत यूनिट सूचीबद्ध किए गए हैं ।

(2) "प्रचलित मूल्य" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में उस समय यूनिटों के बाजार मूल्य से है जब वे ट्रस्ट द्वारा पुनःखरीदे गए हों ।]

---

1. "शुद्ध आस्ति मूल्य का प्रकाशन :

(क) योजना का शुद्ध आस्ति मूल्य सप्ताह में एक बार मुम्बई में उक्त समग्र मूल्य में से कल्पित योजना की देयताओं और आनुषांगिक आधार पर अन्य खर्चों, जो इस योजना की राय में निवेश वसूली पर देय स्टाम्प शुल्क, कर और अन्य खर्चों को परा करने के लिए पर्याप्त हों, को घटाकर निकाला जाएगा और भारत के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा । उसी समय उक्त मूल्य की सूचना भारत के सभी शेयर बाजारों को भी उपयुक्त रीति से दी जाएगी । इस प्रकार प्रकाशित मूल्यांकन मूल्य के अगले प्रकाशन तक वैध रहेगा ।

(ख) यदि आकस्मिक परिस्थितियों में मूल्यांकन का प्रकाशन एक या उससे अधिक सप्ताह तक नहीं किया जाता तो यह नहीं समझा जाएगा ट्रस्ट ने इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है ।

(ग) वास्तविक निवेश के प्रयोजनार्थ शेयर बाजारों में यूनिट का कारोबार इच्छुक क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किया जाएगा । ऐसे कारोबार पर योजना का कोई नियंत्रण नहीं होगा ।" के लिए 18-7-96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

2. 18-7-96 को जोड़ा गया ।

3. 'यूनिट सभी अथवा कुछ शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किए जाएंगे, के लिए 18-7-96 को प्रतिस्थापित ।

4. 22-12-93 को जोड़ा गया ।

11. यूनिटों की पुनर्खरीद :

[1][(क) यूनिटधारक को अपने यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए पेश करने की कोई बाध्यता नहीं होगी और वह योजना के चालू रहने के दौरान जब तक चाहे यूनिट को धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(ख) पुनर्खरीद, यूनिट प्रमाणपत्र के साथ उसके पिछले पृष्ठ पर दिए फार्म के प्राप्त होने पर, जिसमें पुनर्खरीद तिथि को प्रमाणपत्र में समाविष्ट सभी यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए लिखा होगा, प्रभावी होगी । यूनिट ट्रस्ट निर्धारित फार्म में यूनिट-धारक (धारकों) से पुनर्खरीद हेतु ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर जो सभी यूनिटधारक (धारकों) द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट सभी यूनिटों की पुनर्खरीद भी करेगा । यूनिट प्रमाणपत्र और फार्म, यदि हो, तो उसे यूनिट ट्रस्ट द्वारा निरस्त करने के लिए रख लिया जाएगा ।

(ग) पुनर्खरीद की संविदा स्वीकृति तिथि को निष्पादित हुई मानी जाएगी ।

(घ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गई यूनिटों का भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र ऐसी रीति से किया जाएगा, जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया था । किसी भी कारण से ब्याज की कोई राशि आवेदक को देय नहीं होगी तथा ट्रस्ट प्रेषण खर्च (डाक-व्यय सहित) या ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट की वसूली का व्यय-भार भी आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।]

12. यूनिट की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

इस योजना के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ट्रस्ट यूनिट की बिक्री या पुनर्खरीद करने के लिए बाध्य नहीं होगा :—

(1) किसी कार्यालय दिवस को;

(2) उक्त अवधि (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) जब बहियों और लेखों की वार्षिक बन्दी के कारण यूनिटधारकों की पंजी बन्द रहती है; और

(3) ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित इस योजना की समाप्ति-तिथि के बाद ।

स्पष्टीकरण :

इस योजना के प्रयोजनार्थ "कार्य-दिवस" का अभिप्राय उस दिन से है, जो न तो:—

(1) महाराष्ट्र राज्य में या किसी अन्य राज्य में जहां ट्रस्ट के कार्यालय हैं, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन सार्वजनिक छुट्टी के रूप में अधिसूचित हो और, न ही

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिन के रूप में अधिसूचित हो कि उस दिन ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय बन्द रहेगा ।

13. आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को योजना के अंतर्गत यूनिट निर्गम संबंधी आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा । योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा संबंधी ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

14. यूनिट जारी होने के पूर्व योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा पूरी की जानेवाली अपेक्षाएं :

योजना के अंतर्गत यूनिट के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए अपनी योग्यता के संबंध में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी । गलत घोषणा देकर यूनिटधारक व्यक्ति यूनिट प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम यूनिटधारक की पंजी से काट दिया जाएगा । ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में सम्मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे । इस राशि पर किसी भी दर से ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने में और आवेदक को पुनर्खरीद आगम भेजने में कितना भी समय क्यों न लग जाए ।

---

1. "तथापि, आवंटन तिथि से (1-8-95 से) 4थे, 5वें, 6वें और 7वें वर्ष के दौरान जब यूनिटों का शेयर बाजारों में सूचीबद्ध रहना जारी रहेगा, ट्रस्ट यूनिट धारकों से प्रचलित पुनर्खरीद मूल्य पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए तैयार रहेगा । इसके लिए ऐसी अवधि अवधियां जिसके दौरान वह यूनिटों की पुनर्खरीद हेतु यूनिट पेश करता है समग्र रूप से एक साल में 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए । बशर्ते ट्रस्ट पुनर्खरीद हेतु आफर की कथित अवधि/अवधियों के दौरान योजना की मूल निर्गमित पूंजी के 25% की सीमा तक यूनिटों की पुनर्खरीद करने के लिए स्वतंत्र रहेगा । इस प्रकार से प्रभावी पुनर्खरीद निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगी :—

(क) अवरुद्ध अवधि के बाद फार्म के साथ यूनिट प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जिसके पिछले पृष्ठ पर पुनर्खरीद तिथि को प्रमाणपत्र में समाविष्ट सभी यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए उल्लेख किया होगा, पुनर्खरीद की जाएगी । प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा निरसन के लिए रखा जाएगा ।

(ख) पुनर्खरीद की संविदा स्वीकृति तिथि को निष्पादित मानी जाएगी ।

(ग) जहां यूनिटधारक से यूनिटों की पुनर्खरीद हेतु आवेदन ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत किया जाता है, ट्रस्ट इसके बाद जितना जल्दी संभव हो, आवेदक को उसके लिए पावती का प्रेषण करेगा ।

(घ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गई यूनिटों का भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र ऐसी रीति से किया जाएगा, जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा आवेदन में किया गया हो । किसी भी कारण से ब्याज की कोई राशि आवेदक को देय नहीं होगी तथा ट्रस्ट प्रेषण खर्च या ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट की वसूली का व्यय-भार भी आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

2 [इसमें समाविष्ट किसी भी प्रावधानों के बावजूद, ट्रस्ट अपने विवेक पर ऐसी अतिरिक्त अवधि के दौरान, उस कीमत पर और उस निबंधन एवं शर्तों के अधीन और उसी प्रकार और पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया हो और घोषणा की गई हो, यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा ।"] के लिए 18-07-96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

2. 06-03-1995 को जोड़ा गया ।

15. [बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य :

(1) यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य (जिसे इसमें इसके बाद "बिक्री मूल्य" कहा जाएगा) पर यूनिटों की बिक्री की जाएगी और यूनिट ट्रस्ट द्वारा जिस मूल्य (जिसे इसमें इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा जाएगा) पर यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी, उन्हें साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाएगा । बिक्री मूल्य, एनएवी (पूर्ववर्ती) होगा । पुनर्खरीद मूल्य एनएवी (पूर्ववर्ती) के 5% बट्टे पर होगा ।

(2) जिस दिन बिक्री मूल्य, या पुनर्खरीद मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, निकाला जाता है, उस दिन यूनिट ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर बिक्री मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा ।

बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य तथा उनके बीच के अंतर की गणना इस संबंध में सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी ।

16. बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

यूनिट ट्रस्ट बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद यथाशीघ्र उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी करेगा ।]

[2][(1क) ट्रस्ट यूनिटों की आबंटन तिथि से एक वर्ष बाद और उसके आगे अर्धवार्षिक आधार पर पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा ।]

[3][(1ख) यूनिटों की आबंटन तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद यूनिटों की पुनर्खरीद शुरू होगी और ट्रस्ट प्रत्येक महीने की पहली तारीख को अथवा प्रायः जैसा आवश्यक हो, पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा ।]

(2) जिस दिन पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण किया जाता है, उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति के समय (जिसका निर्धारण इसमें इसके बाद किया जाएगा) इस योजना से संबंधित आस्तियों के मूल्य में उक्त कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति के समय प्रारक्षित निधि, यदि हो, सहित यूनिट पूंजी से संबंधित देयताओं को घटाकर तथा उस दिन कारोबार की समाप्ति के समय निर्गत यूनिटों की संख्या से भाग देकर तथा उसमें से उतनी राशि घटाकर, जो ट्रस्ट की राय में दलाली, कमीशन, कर, यदि हो, स्टाम्प शुल्क तथा ट्रस्ट द्वारा निवेशों की वसूली से संबंधित अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त हो, पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा ।

[4][तथापि, यदि ट्रस्ट संतुष्ट हो कि यह ट्रस्ट एवं यूनिटधारकों के हित में है, तो ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य जिसे निकालने का तरीका ऊपर विस्तृत रूप से बताया गया है, उस सीमा तक परिवर्तित कर सकता है, जैसा ट्रस्ट उचित समझे ।]

(3) जिस दिन पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाता है, उस दिन ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यूनिट का पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाएगा ।

[5][(4) इसमें इसके ऊपर अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के बावजूद, यदि ट्रस्ट संतुष्ट हो कि यह ट्रस्ट और यूनिटधारकों के हित में है, तो उक्त वर्णित रीति से निकाले गये पुनर्खरीद मूल्य में, जिसे निकालने का तरीका ऊपर विस्तृत रूप से बताया गया है, उस सीमा तक परिवर्तित कर सकता है, यथास्थिति, युद्ध, विप्लव, नागरिक अशांति या किसी अन्य गंभीर या निरंतर राजनैतिक और औद्योगिक अशांति या कुछ अनर्थकारी घटनाओं या तात्कालिक घटनाओं के कारण शेयर बाजार मूल्यों के वर्तमान आधार में मौलिक परिवर्तन हो जाने के कारण वित्तीय बाजार में व्यवसाय के पूर्णतः ठप्प हो जाने या अस्त व्यस्त हो जाने की दशा में उस सीमा तक, जहां तक इसे सही समझा जाए, बिक्री या पुनर्खरीद मूल्य या दोनों में परिवर्तन हो सकता है ।

16. "पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन : ट्रस्ट पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद यथाशीघ्र यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा, जिसे वह उचित समझे ।" के लिए 18-07-96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

17. योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

[1][अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है । यदि मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है ।

1. "(1) खंड 12 के उप-खंड (2) और (4) के अंतर्गत आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनों हेतु, आस्तियों को : (क) नकदी (ख) निवेश और (ग) अन्य आस्तियों में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(2) निवेशों के मूल्यांकन में निम्नलिखित लिए जाएंगे :

अ. (क) जिस कार्य दिवस को मूल्यांकन किया जाएगा उस कार्य दिवस को ट्रस्ट द्वारा धारित इस योजना से संबंधित प्रतिभूतियों का शेयर बाजार में बंद मूल्य, के लिए जहां प्रतिभूति का भाव एक से अधिक शेयर बाजारों में कोट हो रहा हो, वहां ऐसी प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण की विधि ट्रस्ट द्वारा तय की जाएगी ।

(ख) जहां संबंधित अवधि में किसी भी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में किसी निवेश का सौदा नहीं हुआ हो या भाव उधृत नहीं किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में ट्रस्ट ऐसे निवेश का जो भी मूल्य तय करेगा, वही उचित मूल्य होगा; और

आ. निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :

(क) ब्याज अर्जित करने वाले जमा राशियों के मामले में प्रोद्भूत लेकिन अप्राप्त ब्याज;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में प्रोद्भूत लेकिन अप्राप्त ब्याज, और

(ग) लाभांश रहित भावदार अधिमान शेयर और इक्विटी शेयरों के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश ।

3. अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य पर किया जाएगा ।" के लिए 18-07-96 को प्रतिस्थापित किया गया ।

---

1. पुनर्खरीद मूल्य : (1) "जिस मूल्य पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी उसे इसमें इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा जाएगा", के लिए प्रतिस्थापित ।

2. 09-11-92 को जोड़ा गया ।

3. 06-03-95 को जोड़ा गया ।

(2) उधृत डिबेंचरों और बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि हो, के लिए समायोजित किया जाता है ।

(3) अनोधृत इक्विटी और अधिमान शेयर, जिनमें अवरुद्ध अवधि वाले शेयर शामिल हैं, को लागत पर लिया जाता है ।

(4) अनोधृत डिबेंचर, बाण्ड और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं ।

(5) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरों को ब्याज दर पर लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रायोगिक मूल्य को कम करके, लिए जाते हैं । जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हों, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटा गया हो, पर किया जाता है । ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन उपरोक्त (4) के अनुसार किया जाता है । जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है ।

(7) मुद्रा बाजार लिखतों को बही मूल्य पर लिया जाता है ।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाता है ।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की सकल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है । इन प्रावधानों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उसके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में होगा ।]

18. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म :

[1][यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फार्म 'ए' के अनुसार 100 यूनिटों के विपणन योग्य लाट में जारी किए जाएंगे और 10,000 यूनिटों के मूल्य-वर्ग में जारी किए जाने वाले यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फार्म 'बी' के अनुसार होंगे । प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र में विभेदक संख्या (संख्याएं), यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया, और यूनिटधारक का नाम होगा ।]

19. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति :

समय-समय पर बोर्ड द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या अक्षरमुद्रित या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा हरेक ऐसा हस्ताक्षर या तो अपने हाथ से किया जाएगा या यांत्रिक विधि से किया जाएगा । जब तक यूनिट प्रमाणपत्र पर इस प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किया जाता तब तक वह विधिमान्य नहीं होगा । इस प्रकार से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र विधि मान्य होगा तथा इसके बावजूद भी कि जारी किये जाने के पूर्व उस पर जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर था अब वह ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर के लिये प्राधिकृत नहीं रहा हो, कार्यकारी होगा ।

किन्तु, यह और कि इस प्रकार से तैयार किये गये यूनिट प्रमाणपत्र पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो, जो प्रमाणपत्र जारी करते समय मृत हो, तो ट्रस्ट उस रीति से, जिसे वह सर्वाधिक उपयुक्त समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर निरस्त कर सकता है और किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवा सकता है । इस प्रकार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र भी विधिमान्य होगा ।

20. ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र संबंधी मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक के रूप में मान्य होगा और जो यूनिट प्रमाण-पत्र और यूनिट उसके नाम से है, उसमें उसका अधिकार, हक और हित है इसलिये ट्रस्ट ऐसे यूनिट धारक को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और उसके विपरीत किसी नोटिस से या न्यास के निष्पादन की नोटिस से बाध्य नहीं होगा या उस बात को छोड़कर जैसा इसमें व्यक्त रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि यूनिट प्रमाणपत्र या उसकी यूनिटों में निहित हक को प्रभावित करने वाले किसी ट्रस्ट या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए ।

21. यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और उसके फटे-फटे, विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) इस योजना के उपबंधों के अधीन हरेक यूनिट धारक अपने किसी या सभी यूनिट प्रमाणपत्रों के बदले यूनिटों की उसी संख्या वाले विपणन योग्य लाट में एक या अधिक यूनिट प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा । ऐसे विनिमय के लिये आवेदन करते समय यूनिटधारक विनिमय हेतु यूनिट प्रमाण-पत्र ट्रस्ट को सौंप देगा और नये यूनिट प्रमाणपत्र के निर्गम से संबंधित पूरी राशि (यदि उसके लिये देय हो) का भुगतान करेगा ।

(2) यदि कोई प्रमाणपत्र फट-फट जाए जो फटा-पुराना या विरूपित हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिसमें यूनिटों की संख्या वही होगी, जो फटे-फटे या फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्रों में थी । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाए, चोरी या नष्ट हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है । कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा । जब तक आवेदक ने पहले ही :

---

1. "यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फार्म ए के अनुसार होंगे । प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तथा यूनिट-धारक का नाम होगा ।" के लिए 10-12-94 को प्रतिस्थापित किया गया ।

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, फटे-पुराने होने, विरूपित हो जाने, खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हो ।

(2) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान न कर दिया हो ।

(3) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित होने की दशा में वैसा यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट को प्रस्तुत और सुपुर्द न कर दिया हो; तथा

(4) ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत न कर दिया हो ।

(ख) इस खण्ड के उपबंधों के अधीन ट्रस्ट स्वभावपूर्ण ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने का दायित्व नहीं लेगा ।

(3) इस खण्ड के उपबंधों के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा करेगा कि आवेदक उसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र के लिये रु. 1/- का भुगतान करे तथा इसके साथ स्टाम्प शुल्क, यदि हो, या डाक पंजीकरण प्रभार सहित अन्य खर्च या कर, जो ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय हो, के लिये ट्रस्ट की राय में पर्याप्त राशि का भी भुगतान करे ।

22. यूनिटधारकों की पंजी :

यूनिटधारकों के पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये जाएंगे—

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारकों की पंजी रखी जाएगी और निम्नलिखित को पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा :

(क) यूनिटधारकों के नाम और पते

(ख) यूनिट प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों की विभेदक संख्या और हरेक ऐसे धारक द्वारा रखी गई यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि से धारक के नाम में यूनिट हैं, वह तिथि ।

(2) जब तक आवेदन 100 यूनिटों के गुणकों में न हो तब तक, यूनिटधारक के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(3) इसमें इसके बाद यथा उपबंधित पंजी बंदी को छोड़कर निबंधक द्वारा लगाये गये समुचित प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य समय के दौरान पंजी प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए यूनिटधारक के निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी ।

(4) इसमें इसके बाद यथा उपबंधित पंजी बंदी को छोड़कर निबंधक द्वारा लगाये गये समुचित प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य समय के दौरान पंजी प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए यूनिटधारक के निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी ।

(5) ट्रस्ट द्वारा निर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रखी जाएगी लेकिन एक वर्ष में 1[45] दिन से अधिक समय के लिए पंजी बंद नहीं रखी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे समाचार पत्रों में जैसा बोर्ड उचित समझे, विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा ।

तथापि, यह कि इस याचना की समाप्ति को ट्रस्ट द्वारा जानकारी प्रकाशित करने के बाद, ट्रस्ट किसी एक वर्ष में 1[45] से अधिक दिनों के लिए रजिस्टर बंद रखने का पात्र होगा और ट्रस्ट इसके बाद ट्रस्ट के साथ पंजीकरण हेतु यूनिटों के किसी अंतरण को स्वीकार करने का जिम्मेदार नहीं रहेगा अथवा ऐसी अधिसूचित तिथि के बाद किसी भी यूनिटधारक द्वारा यूनिटों का कोई अंतरण प्रभावी नहीं करेगा और इसके बाद यूनिटों के अंतरण हेतु कोई भी आवेदन निष्क्रिय समझा जाएगा और इस कारण यूनिटधारक के किसी भी नुकसान का ट्रस्ट भागी नहीं होगा ।

(6) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित अथवा रचनात्मक, सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

23. ट्रस्ट के उन्मोचन के लिए यूनिटधारक द्वारा रसीद :

प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए यूनिटों के पक्ष में यूनिटधारक को प्रदत्त किसी धन के लिए उसकी रसीद ही ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

24. यूनिटधारक द्वारा नामांकन :

(1) एकल रूप से यूनिट धारण करने वाले यूनिटधारक अथवा संयुक्त रूप से धारण करने वाले दो यूनिटधारकों को इस मामले में बनाए गए विनियमों के अधीन दो व्यक्तियों से अधिक के पक्ष में नामांकन करने अथवा नामांकन रद्द करने का अधिकार होगा ।

(2) यूनिटधारक जो नाबालिग की ओर से या तो उसके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक हैं और पात्र संस्था समितियों को कोई नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

25. यूनिटों का अंतरण :

(1) यूनिटों के अंतरण की अनुमति होगी ।

(2) यूनिटें धारण करने वाली प्रत्येक यूनिटधारक ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत फार्म में लिखित लिखत द्वारा यूनिटों का अथवा उसके द्वारा धारित किसी भी यूनिट का अंतरण करने का हकदार होगा । बशर्ते ऐसा कोई अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि उस अंतरण के परिणामस्वरूप अंतरणकर्ता या अंतरिती जिन यूनिटों का धारक हो उन यूनिटों की संख्या 100 के गुणकों में न होती हो ।

(3) हरेक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही अंतरित यूनिटों का धारक समझा जाएगा । इस खंड को "यूनिट की बिक्री" के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाएगा ।

26. यूनिटधारक की मृत्यु अथवा दिवालियापन :

(1) यूनिटधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामिती ट्रस्ट द्वारा मान्य व्यक्ति होगा/होंगे जो विनियमों के अंतर्गत यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि का हकदार होगा/होंगे ।

---

1. 18-07-96 को "60" के लिए प्रतिस्थापित, जिसे इसके पहले 31-01-94 को "30" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।

(2) यूनिटधारक द्वारा वैध नामांकन के अभाव में मृत यूनिट-धारक का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही केवल ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका यूनिटों में कोई अधिकार है, ऐसा ट्रस्ट द्वारा माना जाएगा।

1[(3) किसी यूनिटधारक की मृत्यु दिवालियापन के कारण किसी व्यक्ति को यूनिटों का स्वत्वाधिकारी होने पर तथा उसके स्वत्वाधिकारी होने की साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझता है, मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान, दावेदार द्वारा दावे की सभी औपचारिकताओं का अनुपालन करने पर, ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाएगा।]

(4) यूनिट प्रमाणपत्र के अंतर्गत यदि अकेला नामिती यूनिट धारण करने का पात्र व्यक्ति है, तो कथित नामिती की इच्छा पर, नामिती को मृतक के नाम पर जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बजाय यूनिटधारक के रूप में यूनिट धारण करने की अनुमति दी जाएगी और वह यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत बना रहेगा और न्यूनतम धारण संबंधी शर्तों के अधीन उसके द्वारा यूनिट धारण करने की इच्छा के पक्ष में उसके नाम यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

27. निवेश सीमा :

(1) ट्रस्ट द्वारा योजना की निधियों का निवेश किसी एक कम्पनी की प्रतिभूतियों में ऐसी कम्पनियों की जारी की गई और बकाया प्रतिभूतियों के 15% से अधिक नहीं होगा। परन्तु किसी भी स्थिति में, नए औद्योगिक उपक्रमों द्वारा जारी की गई आरंभिक पूंजी में ऐसा समग्र निवेश कथित निधियों की कुल राशि के 5% से अधिक नहीं होगा।

(2) उप-खण्ड (1) के अंतर्गत निर्धारित सीमा बाण्डों और डिबेंचरों और कम्पनी जमाओं में ट्रस्ट के निवेश को लागू नहीं होगी, चाहे वह निवेश सुरक्षित हो या न हो।

1[यह योजना सेबी द्वारा अनुमति मिलने और योजना द्वारा निवेश हेतु उपलब्ध होने पर व्युत्पन्न निवेशों में निवेश कर सकती है।

योजना के अंतर्गत 01-01-97 से प्राप्त किसी भी अभिदान का निवेश भारतीय यूनिट ट्रस्ट हेतु सेबी विनियमों एवं नियामक तंत्र के अनुसार किया जाएगा जैसे :

(1) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण सीआर-आईएसआईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य दर्जा निर्धारण करने वाली एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(2) इस योजना द्वारा कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा।

(3) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य असूचीबद्ध ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा।

(4) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी।

(5) इस योजना सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा।

(6) इस योजना सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा। परन्तु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई है।

(7) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) असूचीबद्ध या अशोधन निवेशों का अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(8) सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अंतर्गत अन्य प्रकार से अनुमति न मिलने तक यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी।

(9) जब तक सेबी द्वारा म्यूचुअल फण्ड विनियमों/दिशा-निर्देशों/निदेशों के अंतर्गत अन्यथा अनुमति न हो तब तक यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी।]

28. आय वितरण :

ट्रस्ट योजना के अंतर्गत प्राप्त आय और उसके अंतर्गत किए गए व्यय पर निर्भर करते हुए योजना के अंतर्गत आय वितरण की घोषणा कर भी सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है।

---

1. "किसी यूनिटधारक की मृत्यु अथवा दिवालियापन के कारण किसी व्यक्ति को यूनिटों का स्वत्वाधिकारी होने पर तथा उसके स्वत्वाधिकारी होने के साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझता है, मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान दावेदार द्वारा दावे की सभी औपचारिकताओं का अनुपालन करने पर, सममूल्य पर किया जाएगा।" के लिए 9-11-92 को प्रतिस्थापित किया गया।

1. 18-07-96 को जोड़ा गया।

वितरण योग्य आय, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्ष 30 जून की वार्षिक लेखा बंदी के बाद जितना जल्दी संभव हो, अदा की जाएगी ।

[1][लाभांश की घोषणा के मामले में, आय वितरण वारण्टों का प्रेषण लाभांश की घोषणा किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर किया जाएगा ।]

29. लेखा-प्रकाशन :

प्रत्येक वर्ष, 30 जून के बाद ट्रस्ट उस तिथि को समाप्त अवधि में योजना के कार्यों को दर्शाते हुए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों का प्रकाशन बोर्ड द्वारा निर्णीत विधि से करेगा । ट्रस्ट यूनिटधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखे की प्रति भेज देगा ।

[1][शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां विनियमों/सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर निर्भर रहते हुए परिवर्तन के अधीन होंगी ।]

29क. विकास प्रारक्षित निधि (डी आर एफ) में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डी आर एफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

29ख. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।]

30. योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए संशोधन या परिवर्धन को राजपत्र में अधिसूचित करेगा ।

[1][योजना के प्रावधानों में संशोधन कार्यकारिणी समिति और सेबी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकते हैं ।]

31. [2][ ]

32. यूनिटधारकों के लिए योजना का बाध्यकारी होना :

इस योजना की शर्तों के साथ इसमें समय-समय पर किए गए संशोधन परिवर्तन प्रत्येक यूनिटधारक और उसके माध्यम से या उसके अंतर्गत दावा करनेवाले हरेक व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह/वे इस योजना के प्रावधानों में समाविष्ट किसी भी बात के बावजूद व्यक्तिश: रूप से सहमत हो/हों ।

33. यूनिटधारकों को लाभ :

इस योजना की बंदी के समय योजना के अंतर्गत पूंजी और प्रारक्षित निधि और अधिशेष यदि कोई हो, के रूप में सभी प्रादुर्भूत लाभ यूनिटधारकों को, जो योजना की पूर्ण कालावधि हेतु उसकी बंदी तक यूनिट धारण करते हैं, उपलब्ध होंगे ।

34. योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी :

इस योजना की प्रतिलिपि, जिसमें इसके सभी संशोधन भी शामिल होंगे, पूरे कार्य समय के दौरान ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और यूनिटधारक को रुपए 5/- का भुगतान करने पर ट्रस्ट द्वारा उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

35. उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार :

योजना के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला नहीं होगा या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक होगा ।

---

1. 18-07-1996 को जोड़ा गया ।

2. 'योजना की समाप्ति : [3][यह योजना अंतिम रूप से 1 अगस्त, 1999 को समाप्त की जाएगी । यूनिटधारकों को यूनिटों का मूल्य अंतिम पुनर्खरीद हेतु निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर अदा किया जाएगा । निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य लाभ चाहे पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि के रूप में हो या लाभांश के रूप में किसी अनुवर्ती अवधि के लिए प्रोद्भूत हो, नहीं मिलेगा और ट्रस्ट द्वारा जितना जल्दी संभव हो यूनिट प्रमाणपत्र के साथ फार्म जो उसके पीछे है, उचित रूप से भरा हुआ प्राप्त होने की बाद पुनर्खरीद मूल्य की अदायगी की जाएगी । पुनर्खरीद हेतु प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रखा जाएगा ।

ट्रस्ट अपने पास योजना सात वर्षों से अधिक अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिस मामले में, यूनिट धारक को यह विकल्प दिया जाएगा कि या तो वह यूनिट ट्रस्ट को वापस बेच दे या अन्य किसी आरम्भिक या उस समय परिचालित योजना/प्लान में, जैसा ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया हो, निवेश करे ।] को 18-07-1996 को निकाला गया ।

3. "यह योजना अंतिम रूप से 1 अगस्त, 1999 को समाप्त की जाएगी । सभी यूनिट धारकों को जो इस योजना में उसकी समग्र अवधि हेतु शामिल हुए हैं, उनको उपरोक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद हेतु निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की कीमत अदा की जाएगी । [निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य लाभ चाहे पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि के रूप में हो या अनुवर्ती अवधि के लिए किसी प्रोद्भूत लाभांश के रूप में हो, नहीं मिलेगा और ट्रस्ट द्वारा जितना जल्दी संभव हो यूनिट प्रमाणपत्र के साथ फार्म जो उसके पीछे है, उचित रूप से भरा हुआ प्राप्त होने के बाद पुनर्खरीद मूल्य की अदायगी की जाएगी । पुनर्खरीद हेतु प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रखा जाएगा" को 06-03-95 को प्रतिस्थापित किया गया ।

36. उपबंधों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ट्रस्ट के कार्यपालक न्यासी कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, यदि किसी यूनिटधारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाए ।

1[यूनिटधारकों के अधिकार

1. योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों में लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, में समानुपातिक अधिकार हैं ।

2. यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनको निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा यूनिटधारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिटधारक लाभांश वारन्ट के प्रेषित किए जाने के हकदार होंगे ।

4. यूनिटधारकों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी, 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400 021 में स्थित है ।]

1[अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रस्ट की सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अभिरक्षा में धारित करें । अभिरक्षक उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेन्ट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, पुनर्खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा । अभिरक्षक सभी सूचनाएं, रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे ।

निबंधक

मैसर्स डाटामैटिक्स लि. को रजिस्ट्रार (निबंधक) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है । यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है । आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं निम्नलिखित कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएंगी :—

प्लाट नं. बी-5, एम आई डी सी

भाग बी, क्रास लेन, मरोल

एम आई डी सी पोलिस थाना

अंधेरी (पूर्व)

मुम्बई-400 093.

दूरध्वनि सं. : 821 3383

821 3453-54

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एस एन डी टी महिला विश्व-विद्यालय, बेसमेन्ट, द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400 020 में उपलब्ध रहेंगे :—

* यू टी आई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षकों और रजिस्ट्रारों के साथ किए गए करार
* मास्टरगेन 1992 के प्रावधानों की प्रति]

फार्म क

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन निर्मित)

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना–1992

(खण्ड 18)

यूनिट प्रमाणपत्र सं.

यूनिटों की सं.

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) के उपबंधों के अधीन बनायी गयी विनियमावली और पूंजी वृद्धि यूनिट योजना–1992 (सी जी यू एस–92) के अंतर्गत, इस प्रमाणपत्र में नामांकित व्यक्ति इसमें उल्लिखित . . . . . यूनिटों, जिनमें प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए है, का/के पंजीकृत धारक है/हैं ।

नाम

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

अध्यक्ष न्यासी

दिनांक

1. 18-07-1996 को जोड़ा गया ।

सभी यूनिटों की पुनर्खरीद हेतु आवेदन पत्र

दिनांक :

प्रति,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मैं/हम . . . . प्रमाणपत्र में समाविष्ट सभी यूनिटें स्वीकृति तिथि को पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को बेचना चाहता हूं/चाहते हैं ।

मुझे यूनिटों के मूल्य का भुगतान मेरे स्वयं के खर्च पर* नकद/चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाए ।

धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

1. . . . . . .

2. . . . . . .

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम : . . . .

व्यवसाय : . . . .

पता : . . . .

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम : . . . .

व्यवसाय : . . . .

पता : . . . .

स्वीकृति तिथि

* लागू न होने वाले शब्द काट दें ।

\# [ ]

* 1. 'यह योजना वापसी अदायगी हेतु 20 जुलाई, 1999 को परिपक्व हो जाएगी । उसके बाद कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा ।

2. यह प्रमाणपत्र दो साक्षियों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एवं साक्षित, यूनिटधारक द्वारा परिपक्वता के 3 सप्ताह पहले ट्रस्ट को प्रस्तुत करना होगा ।' 18-7-96 को निकाल दिया गया ।

19-12-94 को जोड़ा गया

फार्म 'ख'

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन निगमित)

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना-1992 (मास्टरगेन-92)

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) के उपबन्धों के अधीन बनाई गई विनियमावली और पूंजी वृद्धि यूनिट योजना-1992 (मास्टरगेन-92) के अन्तर्गत, इस प्रमाणपत्र में नामांकित व्यक्ति इसमें उल्लिखित यूनिटों, जिनमें प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये है, का/के पंजीकृत धारक है/हैं ।

रजि. फोलियो सं. एमजी- यूनिट प्रमाणपत्र सं.

धारक (धारकों) का (के) नाम :

यूनिटों की सं. दस हजार मात्र (***10,000)

विभेदक संख्या (संख्याएं) : अनुबन्ध के अनुसार (अनुबन्ध प्रमाणपत्र का अभिन्न भाग है)

दूसरी तरफ दिए गए मास्टरगेन-92 के अंतर्गत यूनिटों के अन्तरण व ज्ञापन

तिथि	अंतरण सं०	रजि० फोलियो सं०	अंतरिती का/अंतरितियों के नाम	लघु हस्ताक्षर	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मास्टरगेन-92 के अन्तर्गत सभी यूनिटों का पुनर्खरीद फार्म

प्रति, दिनांक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मैं/हम . प्रमाणपत्र में समाविष्ट सभी यूनिट स्वीकृति तिथि को पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को बेचना चाहता हूं/चाहते हैं । मुझे/हमें पुनर्खरीद का भुगतान मेरे स्वयं के खर्च पर चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाए ।

धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

1. . . . . . .

2. . . . . . .

3. . . . . . .

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम : . . . .

व्यवसाय : . . . .

पता : . . . .

. . . .

. . . .

स्वीकृति तिथि

मास्टरगेन-92 से संबंधित सभी पत्र व्यवहार नीचे बताए गए रजिस्ट्रार के पते पर किया जाए :

मैसर्स डाटामैटिक्स लि., यूनिट : मास्टरगेन-92, प्लाट सं. ए 16 और 17, एम आई डी सी, भाग बी, 10 लेन, एम आई डी सी पोलिस थाने के पीछे, अंधेरी (पू.) मुम्बई- 400093 ।

10,000 यूनिटों के प्रमाणपत्र का अनुबन्ध, निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/विभंवक सं. के स्थान पर समेकित रूप से जारी किया गया*** ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन निगमित)
पूंजी वृद्धि यूनिट योजना-1992 (मास्टरगेन-92)

रजि. फोलियो सं. एमजी- पहले धारक का नाम यूनिट प्रमाणपत्र संख्या

क्र. सं. पुराना प्रमाणपत्र सं. विभंवक सं. यूनिटों की सं. क्र. सं. पुराना प्रमाणपत्र सं. विभंवक सं. यूनिटों की सं.

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्यपालक न्यासी अध्यक्ष

1-7-95 से 30-9-96 तक की अवधि के लिए निवेशकों की शिकायतों संबंधी आंकड़े

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवरण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	2907	2820	87	2.99%
सीजीजीएफ	19868	19212	656	3.30%
सीजीएस 83	22480	22284	196	0.87%
सीजीयूएस-91	6462	5767	695	10.76%
सीआरटीएस	169	165	4	2.37%
डीआईयूपी-93	575	550	25	4.35%
डीआईयूपी-95	722	667	55	7.62%
डीआईयूएस-90	5004	4736	268	5.36%
डीआईयूएस-91	6466	6314	152	2.35%
डीआईयूएस-92	3405	3335	70	2.06%
आईओआईएसएफयूएस	5	5	0	0.00%
जीसीजीआई	5318	4655	663	12.47%
ग्रैंड मास्टर-93	1237	1217	20	1.62%

1	2	3	4	5
जीएमआईएस–91	9564	9342	222	2.32%
जीएमआईएस–92	4646	4553	93	2.00%
जीएमआईएस–92(II)	1301	1263	38	2.92%
जीएमआईएस-बी–92	576	552	24	4.17%
जीएमआईएस-बी–92 (II)	4930	4661	269	5.46%
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान–94	1927	1811	116	6.02%
आवास यूनिट योजना	328	289	39	11.89%
एमईपी–91	8930	8448	482	5.40%
एमईपी–92	63043	62249	794	1.26%
एमईपी–93	24081	22576	1505	6.25%
एमईपी–94	16252	15913	339	2.09%
एमईपी–95	62779	62428	351	0.56%
एमईपी–96	2340	1277	1063	45.43%
मास्टर गेन–92	74762	72356	2406	3.22%
मास्टर ग्रोथ–93	3020	2899	121	4.01%
एमआईपी–93	1994	1975	19	0.95%
एमआईपी–94(I)	4777	4741	36	0.75%
एमआईपी–94 (II)	6129	5964	165	2.69%
एमआईपी–94 (III)	11727	11353	374	3.19%
एमआईपी–95	2808	2684	124	4.42%
एमआईपी–95(II)	3851	3627	224	5.82%
एमआईपी–95(III)	6693	6372	321	4.80%
एमआईपी–96	896	777	119	13.28%
एमआईएस–90(I)	510	374	136	26.67%
एमआईएस–90(II)	4284	4189	95	2.22%
एमआईएस बी–93	7243	7049	194	2.68%
एमआईएसजी–91	5135	5045	90	1.75%
मास्टर प्लस–91	47644	46448	1196	2.51%
मास्टर शेयर–86	73695	67417	6278	8.52%
ओमनी–प्लान	75	63	12	16.00%
पीईएफ	814	684	130	15.97%
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	3870	3602	268	6.93%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	10438	10044	394	3.77%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1642	1553	89	5.42%
यूजीएस–2000	67749	62127	5622	8.30%
यूजीएस–5000	16384	13124	3260	19.90%
यूलिप	15761	13690	2071	13.14%
यूएस–64	628393	598040	30353	4.83%
यूएस–92	21799	20916	883	4.05%
यूएस–95	4	4	0	0.00%
कुल	1297412	1234206	63206	4.87%

शिकायतें लम्बित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलम्ब ।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

शिकायतों/आपत्तियों के स्वरूप पर निर्भर करते हुए ट्रस्ट निवेशकों/रजिस्ट्रारों को उनका निवारण करने के लिए लिखता है ।

सभी निवेशक, निवेश का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायतें, संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पतों पर भेज सकते हैं ।

पश्चिमी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष,
कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
जी डी सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुम्बई-400005
टेली : 2180172/2181600

पूर्वी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस,
2री मंजिल,
कलकत्ता-700001
टेली : 2434581

दक्षिणी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष,
यूटीआई हाउस, 29,
राजाजी सालै,
मद्रास-600001
टेली : 517101 विस्तार : 360/364

उत्तरी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक सम्पर्क कक्ष,
हेरोल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
टेली : 3329860

*पूर्ववर्ती आंकड़े

विवरण		यूएस 64			पीईएफ		
		1993–94	1994–95	1995–96	1993–94	1994–95	1995–96
1		2	3	4	5	6	7
क. कुल आय		3622.78	3380.41	1748.52	—	2.39	14.78
ख. व्यय (प्रबंधनों सहित)		84.91	92.99	152.49	—	4.83	2.66
ग. शुद्ध आय (क–ख)		3537.87	3287.42	1596.03	—	–2.44	12.12
घ. लाभांश		3128.07	3976.22	2733.78	—	—	—
ङ. शुद्ध आस्ति मूल्य	आरंभिक	—	—	—	—	—	9.95
	अंतिम	—	—	—	—	9.95	12.28
च. पुनर्खरीद	आरंभिक	15.00	15.50	15.00*	—	—	10.10**
	अंतिम	18.00@	18.05	16.25$	—	—	11.84
छ. औसत मासिक शुद्ध आस्तियों को व्यय (%)		—	—	—	—	—	—
ज. पोर्टफोलियो टर्नओवर दर		—	—	—	—	—	—
झ. बाजार मूल्य (उच्चतम/न्यूनतम)		—	—	—	—	—	—
ञ. बिक्री मूल्य	आरंभिक	16.00	16.50*	15.50*	—	—	10.25**
	अंतिम	19.30@	19.35‡	17.20$	—		12.44
ट. यूनिटों की संख्या (लाख में) (अवधि के अंत में)		120146.09	152767.34	135094.59	—	1749.42	1819.79

*वर्ष की 1 जुलाई, से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए। @अप्रैल, 1994 के लिए अनुमानित ।
‡मई, 1995 के लिए अनुमानित । $1–5–1996 से 15–5–1996 तक की अवधि के लिए ।
**1–8–1995 से 9–8–1995 तक की अवधि के लिए ।

*18–7–1996 को जोड़ा गया ।

दिनांक 3 फरवरी 1997

यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-144/12 208/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट वृद्धि निधि योजना-2000 के प्रावधानों में संशोधन, जिन्हें 4 नवम्बर, 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

योजना के प्रावधानों में नए खंडों के रूप में निम्नलिखित जोड़े जाएंगे :

5क. राइट्स आधार पर यूनिटों की पेशकश

ट्रस्ट, ऐसे यूनिटधारकों को, उन निबंधन एवं शर्तों पर तथा ऐसी विधि एवं रीति से जिन्हें इस प्रयोजन हेतु ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाए, अभिदान के लिए यूनिटों की पेशकश कर सकता है ।

न्यूनाभिदान होने की स्थिति में, यूनिटधारकों तथा परित्याग करनेवालों को, उनके द्वारा आवेदित सभी यूनिट आबंटित किए जाएंगे जो इश्यू के समग्र आकार के अधीन होंगे ।

अत्यभिदान की स्थिति में, ट्रस्ट सांख्यिक आधार पर अतिरिक्त यूनिट आबंटित करेगा जो रिकार्ड तारीख पर यूनिटधारकों द्वारा धारित यूनिटों की संख्या के संदर्भ में होंगा तथा इश्यू के समग्र आकार के भीतर होंगा । अभिदान राशि का शेष, यदि कोई हो, तो उसे वापस कर दिया जाएगा ।

अत्यभिदान की स्थिति में, यूनिटों के आबंटन हेतु प्राथमिकता का आधार निम्नानुसार होंगा :

(क) ऐसे यूनिटधारकों को पूर्ण आबंटन किया जाएगा जिन्होंने अपनी राइट्स हकदारी के लिए या तो पूरे या आंशिक भाग के लिए आवेदन किया हो तथा परित्याग करनेवालों को भी पूर्ण आबंटन किया जाएगा, जिन्होंने उनके पक्ष में परित्याग किए गए यूनिटों हेतु पूरे या आंशिक भाग के लिए आवेदन किया हो;

(ख) ऐसे यूनिटधारकों को जिन्होंने राइट्स के रूप में पेशकश किए गए सभी यूनिटों के लिए आवेदन किया हो तथा अतिरिक्त यूनिटों के लिए आवेदन किया हो;

5क. बोनस यूनिटों का जारी किया जाना

ट्रस्ट यूनिटधारकों को इसके आगे या अतिरिक्त यूनिट जिन्हें पूर्ण प्रदत्त रूप में प्रारक्षित पूंजीकरण द्वारा या अन्य रूप से जमा किया गया हो, जारी कर सकता है तथा उसके बाद यूनिटधारकों को उनके अनुरोध पर या अन्य रूप से ऐसे बोनस यूनिटों के संदर्भ में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा जिनके वे हकदार होंगे ।

15क. खंड 12, 13, 14 एवं 15 में समाविष्ट किसी भी बात के बावजूद, ट्रस्ट यूनिटधारक के अनुरोध पर बोनस यूनिटों के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय कर सकते हैं और अन्यथा नहीं ।

15ख. इस योजना में यूनिट प्रमाणपत्र से संबंधित प्रावधान, बोनस यूनिटों के संदर्भ में भी लागू समझे जाएंगे ।

23घ. पूंजीकरण

(1) ट्रस्ट इस योजना से संबंधित कोई भी राशि जो उस समय किसी भी प्रारक्षित निधि में जमा हो, अथवा यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध कोई अन्य राशि हो, उसका पूंजीकरण कर सकता है और उस राशि का इस प्रयोजन हेतु उपयोग अथवा वितरण यूनिटधारकों को, इसमें नीचे उप-खंड (2) में बताए गए प्रकार से किया जाएगा जिसका यदि वितरण किया गया होता तो यूनिटधारक उनके द्वारा धारित यूनिटों पर आय के रूप में उसी अनुपात में इसके लिए पात्र होते ।

(2) उपर्युक्त राशि, उप-खंड (3) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन, ऐसे यूनिटधारकों के बीच, पूर्वोक्त अनुपात में, पूर्णतः प्रदत्त रूप में जारी और आबंटित जमा किए गए यूनिटों की अदायगी हेतु प्रयुक्त होगी ।

(3) ट्रस्ट, तद्नुसार उसके द्वारा निश्चित की गई राशि का, जो बोनस यूनिटों के रूप में पूर्णतः प्रदत्त यूनिटों के आबंटन और निर्गम द्वारा पूंजीकृत की गई हो, विनियोग और उपयोग कर सकता है और सामान्यतया उसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं कर सकता है ।

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कानपुर-208001, दिनांक 5 फरवरी 1997

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स)

सं० 3 सी० सी० ए० (8) (4) 1966-97—रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क भुगतान नहीं किया था।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	039943	मि० राम दयाल, एफ० सी० ए० मा० भार० डी० पटेल पी० ओ० 3016 परेल सलाम तानजानिया ।	5-12-94
2.	093479	मि० राजेश कुमार ए०सी०ए० तृतीय-ए-223 रचना बैसाली गाजियाबाद-201010.	1-10-96

प्रद्योक हल्दिया, सचिव

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 3 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई/एक्जम-89/भाग-2/204 सा. का.—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है) जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करदी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की दिनांक व सं० जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० 87, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 (17 शाखाएं)	डी एल/2227	2/1959/डी० एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 12-2-90	29-10-91	30-10-91 से 29-10-94	2/2501/डी० एल० आई०
2.	मै० जय श्री टी व इण्डस्ट्रीज लि० लाल द्वारा, स्वामी तीरथ राम नगर, नई दिल्ली-55 15 शाखायें)	डी एल/2819	2/1959/डी एल० आई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 26-2-92	20-8-94	21-8-94 से 20-8-97	2/1264/84/डी० एल० आई०
3.	मै० उज्जवल लि०, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2	डी एल/3255	2/1959/डी० एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 23-12-92	17-9-94	18-9-94 से 17-9-97	2/384/80/डी० एल० आई०
4.	मै० एम० ए० एस० सर्विस प्रा० लि० एबी-4, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-29	डी एल/4789	2/1959/डी० एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक	31-8-90	1-9-90 से 31-8-93	2/2336/89/डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै० लिविंग मीडिया इण्डिया लि० 316, कम्पोनेंट हाउस, एफ-14, मिडिल सर्किल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -1	डी एल/6508	2/1959/डी० एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 25-5-93	30-4-91	1-5-91 से 30-4-94	2/2099/89-डी० एल० आई०
6.	मै० एम० एन० एस० फार्मा प्रा० लि० 11, कम्युनिटी सेंटर, ई० आफ कैलाश नई दिल्ली -65	डी एल/8859	2/1959/डी० एल० आई/छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 29-7-91	28-2-94	1-3-94 से 28-2-97	2/2117/89-डी० एल० आई०
7.	मै० अमोनिया सप्लाईज प्रा० लि०, न्यू कलोनी माडल बस्ती, नई दिल्ली-5	डी एल/8914	2/1959/डी० एल आई/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 19-1-93	31-8-91	1-9-91 से 31-8-94	2/2113/90-डी एल आई०
8.	मै० जयपुर गोल्डन ट्रांस पोर्ट कं०, 472/1, शिश्त चमन, किशनगंज, दिल्ली-7 शाखाओं सहित, आगरा, भिवानी, फरीदाबाद, इन्दौर रोहतक, रिवाड़ी, रोहतक, टी० रतलाम व मेरठ)	डी एल/783	2/1959/डी० एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 20-8-91	11-9-93	12-9-93 से 11-9-96	2/485/90-डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुदेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी हक के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब तक वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितियों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितों का विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/217—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, एच. डब्ल्यू. टी. स्यैम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, एच. डब्ल्यू. टी. स्यैम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की दिनांक व सं० जिनके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई।	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० बैली ब्यू क्लिनिक, 9, यू० एन० ब्रह्मचारी स्ट्रीट, कलकत्ता–17	प० बं०/15010	2/1959/डी० एल० आई/छूट/89/पार्ट–1/68, दिनांक 11–1–92	10–8–96	11–8–96 से 10–8–99	2/(307) डी० एल० आई०/प० बं०/80
2.	मै० मेकमेट इण्डिया लि० 27–बी, कामिक स्ट्रीट कलकत्ता तथा इसकी तीन शाखायें ।	प० बं०/24973	2/1959/डी० एल० आई/89/पार्ट–1/672, दिनांक 31–10–91	26–7–96	27–7–96 से 26–7–99	2(1632) डी० एल० आई०/प० बं०/87
3.	मै० हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लि०, हैवी इंजीनियरिंग डिवी० पी० ओ० हिन्द मोटर–712233, पी० एम० उत्तरपारा, जिला हुगली प० बं०–1	प० बं०/28248	2/1959/डी एल० आई०/छूट/89/पार्ट–1/178, दिनांक 13–2–95	31–3–96	1–4–96 से 31–3–99	2(546) डी० एल० आई०/प० बं०/94

1	2	3	4	5	6	7
4.	मै० दी ग्रामोफोन कं० ऑफ इण्डिया, लि०, 33, जाशोर मार्ग, डम डम तथा इसकी 6 शाखायें	प० बं/296	2/1959/डी० एल० आई/ छूट/89/पार्ट-1/2319 दिनांक 22-7-91	26-3-94	27-3-94 से 26-3-97	2(37)/डी०एल० आई/छूट/प० बं०/ 76
5.	मै० वी० एक्स० लि० लैडीस एण्ड जी० वाई० आर० लि०, डी० एच मार्ग पी० ओ० जोका, जिला-24 परगनाज (एस०) पूर्व नाम वी० एक्स० वाई० (पी) लि० यूनीवर्सल इलैक्ट्रानिक्स	प० बं/11576	2/1959/डी० एल० आई/ छूट/89/पार्ट-1/1694 दि० 21-9-91	26-3-94	27-3-94 से 26-3-97	2(174) डी० एल० आई०/ प० बं०/78

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम थी जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है । अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी राशि से कम हो जाये तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी .के. मरवाह
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/224 सा का.—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे उसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।,

अनुसूची–1

(दिल्ली)

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै० रामा विजन लि०, 303-305, रत्न ज्योति बिल्डिंग, 16 राजिन्दर प्लेस, नई दिल्ली–110008 ।	12129 डी० एल०	1-12-90 से 30-11-93	2/2/96/डी०एल०आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2–क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्ररूप किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय के जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के निधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/235 सा. का.—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ।) जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा (17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त करनाल ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै० क्रिस्टल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यमुना नगर	एच/आर/ 5212	1-3-91 से 28-2-93	2/22/95/डी० एल० आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना के पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब तक वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम-निर्देशितों को पाकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने की एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/242 सा का.—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा (17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

उड़ीसा

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै० इण्डियन रेयर अर्थस लि० छत्रपुर गजम, उड़ीसा	ओ/आर/1704	1-6-91 31-5-94 और 1-6-94 से 31-5-97	2/5304/93 डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी तावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के वैधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 5 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/448—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की दि० व स० जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	समाप्ति की तिथि	छूट की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० जिन्दल पब्लिक स्कूल 16 वां के० एम स्टोन, थुमुकर मार्ग, बंगलौर–73	के० एन/7001	2/1959/डी० एल० आई छूट/89/पार्ट–1 दिनांक 17–11–93	31–12–93	1–1–94 से 31–12–94	2(5076) डी० एल आई/के० एन/93
2.	मै० रमेश एन्टरप्राइजिज, नं० 18-बी क्रास सी एम० एच० मार्ग, लक्ष्मीपुरम इलसोर–बंगलौर	के० एन०/9760	एस–35014/(104)/86–एस एस–11 दिनांक 7–3–86	6–3–89	7–3–89 से 6–3–92 7–3–92 से 6–3–95	2(1419)/डी एल आई/के० एन/86
3.	मै० नवीन इण्ड० 13-ए क्रास सी एम० एच० मार्ग, लक्ष्मीपुरम इलसोर बंगलौर	के० एन/8494	एस/1959/डी० एल० आई/छूट 89/पार्ट–1 दिनांक 21–2–96	30–3–92	31–3–92 से 30–3–95	2(1426)/डी एल आई/ के० एन/93
4.	मै० कावेरी ग्रामीण बैंक नं० 314 दिवानस मार्ग, मैसूर तथा 115 शाखाएं	के० एन/7300	35014(428)/82–पी० एफ–11/एम० एस/11 दि० 24–3–86	14–1–92	15–1–92 से 14–1–95	2(16)/डी एल आई के० एन/95

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब तक वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. सरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 7 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/470 सा. का.—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ।) जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गोवा ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० दामोदर पैकेजिंग कं०, केयर हाउस, नियर मैट्रोपोल सिनेमा, पी० ओ० बाक्स नं० 42 मार्गो, गोवा ।	गोआ/10190	1-2-96 से 31-1-99	9(28)डी एल आई गोआ/96
2.	मै० संजीवनी सहकारी सकहार कारखाना लि०, दयानन्द नगर पोस्ट, तिसाका, गोआ ।	गोआ/9996	1-1-96 से 31-12-98	9(27) डी एल आई गोआ/96
3.	मै० गुवाला इंडिया प्रा० लि० 1 मंजिल, सिसा घर, उडीसी काम्पलेक्स, पाटटो, पणजी, गोवा ।	गोवा/10537	1-4-96 से 31-3-99	9(23) डी एल आई गोवा/96
4.	मै० सिमेंट ब्रिक्स इन्डस्ट्रीज कुर्ती, पोन्डा, गोवा ।	गोवा/10186	1-11-94 से 30-10-97	2(21) डी एल आई गोवा/96

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी शिथरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम की सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो वह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (भ.)

नई दिल्ली-66, दिनांक 7 फरवरी 1997

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/480—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इन्दौर ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	सी० पी० एफ० सी० फाईल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै० फिल्टर कं०, निमच, मध्य प्रदेश	म० प्र०/1926	1-3-90 से 28-2-93 1-3-93 से 29-2-96	डी० एल० आई०/9 (17) 95/म०प्र०
2.	मै० कोपरमिटरपस (प्रा०) लि०, 7-बी, इन्डस्ट्रीयल, इस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल	म० प्र०/3265	1-12-92 से 30-11-95	डी०एल०आई०/ 9(6) 95/म० प्र०

1	2	3	4	5
3.	मै० मनडेला के मीकल, बिरलाग्राम नगडा, म० प्र० 45	म०प्र०/3143	1-3-68 से 28-2-91 1-3-91 से 28-2-94	डी० एल० आई० 9(19)95/म०प्र०
4.	मै० एपल केमीकल इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० बिरला ग्राम नगडा म० प्र०-456331	म०प्र०/6305	1-6-90 से 31-5-93	डी० एल० आई० 9(15) 95/म०प्र०
5.	मै० इसप्रोज इंजीनियर प्रा० लि० 126 सेक्टर ए, इंडस्ट्रियल एरिया मण्डीदीप जिला रायसेन म० प्र०	म० प्र०/6398	1-1-91 से 31-12-93 1-1-94 से 31-12-96	डी ०एल० आई० 9(1) 95/म० प्र०
6.	मै० ट्रफिको एण्ड कांसलाइट प्रा० लि० 10ए/बी इंडस्ट्रियल इस्टेट इन्दौर	म० प्र०/768	1-3-89 से 28-2-92 1-3-92 से 28-2-95	डी० एल० आई० 9(33) 96/म० प्र०
7.	मै० रायपुर एलाइड एण्ड स्टील लि० पी०-49 इंडस्ट्रियल एरिया उकारू, रायपुर	म० प्र०/3561	1-3-92 से 28-2-95	डी० एल० आई० 9/32/96/म० प्र०
8.	मै० होटल श्री माया 12/1 आर० एन० टी० मार्ग इन्दौर	म० प्र०/4981	1-1-91 से 31-12-93 1-1-94 से 31-12-96	डी० एल० आई० 9/31/96/म० प्र०
9.	मै० किर्लोस्कर ब्रदर्स लि० 15 महारानी रोड इन्दौर- म० प्र०	म० प्र०/243	1-7-89 से 30-6-92 1-7-92 से 30-6-95	डी० एल० आई० 9/8/95/म० प्र०
10.	एम० पी० आयल एक्सट्रेक्शन लि० 22/55, इंडस्ट्रियल एरिया बानपुरी, रायपुर	म० प्र०/3007	1-12-90 से 30-11-93	डी० एल० आई० 9/36/96/म० प्र०
11.	मैसर्स एम० पी० आगरो/फरटीलाइजरस लि० महाराना प्रताप नगर, भोपाल	म० प्र०/3878	1-3-90 से 28-2-93	डी० एल० आई० 9(34) 96/म० प्र०
12.	मैसर्स गोदरेज फुडस लि० मनडीप, डिस्ट्रिक्ट-रायसेन	एम० पी०/5645	1-1-90 से 31-12-92	डी० एल० आई० 9(35) 96/म० प्र०
13.	मै० मंडीदीप इंजीनियरिंग एण्ड पैकेजिंग इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० रिलाएबल हाऊस ए-6 कोहेफिजा इन्दौर रोड़, भोपाल	एम०पी०/6864	1-2-92 से 31-3-95	डी० एल० आई० 9(16) 95/म० प्र०
14.	मै० रायपुर ब्राइट स्टील एण्ड वायर वेल्डइ० लि० 8-9 इन्डस्ट्रियल एरिया रायपुर	एम०पी०/2589	1-11-89 से 31-10-92 1-11-92 से 31-10-95	डी० एल० आई० 9(38) 96/म० प्र०

1	2	3	4	5
15.	मै० रतलाम मंदसौर ग्रामीण क्षेत्रीय सिविल अस्पताल म० प्र०	एम०पी०/5491	1-2-88 से 31-1-92 1-2-91 से 31-1-94	डी० एल० आई०/ 9(37) 96/म० प्र०
16.	मैं० वासमन हुलसंविहिट फोरजिंग लि० मंडीदीप रायसन तथा इसकी शाखा	एम० पी०/7120	1-4-93 से 31-3-96	डी० एल० आई०/ 9/28/95/म० प्र०
17.	मैं० संघी आर्गानिक एण्ड फांइटोकेम 7/4 मानिक बाग रोड इंदौर (म० प्र०)	एम०पी०/6292	1-3-93 से 28-2-96	डी० एल० आई०/ 9(14) 95/म० प्र०

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना के पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

डी. के. भरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

छावनी परिषद् कानपुर

कानपुर, दिनांक 25 सितम्बर 1996

सं. का. नि. अ. ओ. एस./65—जब कि छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा-60 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन छावनी सीमा के अंतर्गत कन्जरवेंसी टैक्स लागू करने के लिए एक नोटिस दिनांक 8-8-1996 को प्रकाशित की गई और जिसकी एक प्रति छावनी परिषद् कार्यालय के प्रमुख स्थान पर लगाई गयी । जैसा कि धारा-61 जिसे धारा-255, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पढ़ा जाए, इस आशय से नोटिस प्रकाशित की गयी कि इससे प्रभावित होने वाले लोग अपनी आपत्तियां एवं सुझाव नोटिस प्रकाशन से 30, दिनों के अंदर प्रस्तुत कर दें ।

और जब कि प्राप्त आपत्तियों पर छावनी, बोर्ड, कानपुर की बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 1996 में विचार किया गया ।

अब इस लिए छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा-60 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद्, कानपुर केन्द्र सरकारी की पूर्वानुमति के साथ कन्जरवेंसी टैक्स एक प्रतिशत प्रति वर्ष मकान के वार्षिक मूल्यांकन पर एवं वा प्रत्येक किरायेदार पर जो कि मकान के गृहकर को लिए हो, लागू करता है ।

हरीश प्रसाद
छावनी अधिशासी अधिकारी, कानपुर

छावनी परिषद् जालन्धर

जालन्धर छावनी, दिनांक 24 दिसम्बर 1996

सं. एस. आर. ओ.—जालन्धर छावनी के चुंगी अधिनियमों में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कैंट एक्ट 1924 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शोध की जाती है । जोकि आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु एक्ट की धारा 284 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं जो यथा अपेक्षित प्रकाशित किए गए थे कोई भी आपत्ति या सुझाव छावनी परिषद् को प्राप्त नहीं हुए और उन्हें मान्यता दी जा चुकी है जिनकी पुष्टि की जा चुकी है वह इस प्रकार है ।

इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 284 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद् निम्नलिखित उपनियमों में सुधार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से शोध करती है :—

शुद्धि

1. यह प्रकाशित होने की तिथि से लागू माने जाएंगे ।

2. भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ./जे. सी. बी./चुंगी/3395/सी दिनांक 12-11-1991 छावनी परिषद् जालन्धर द्वारा ।

(क) अधिनियम 15 की धारा (2) में लिखित "पांच रुपए" के स्थान पर "दस रुपए" प्रतिस्थापित किए जाते हैं ।

(ख) अधिनियम 17 की धारा (2) में लिखित शब्द "ए. एस. सी. ठेकेदारों को ए. एस. सी. डिपो में जमा धरोहर राशि उस डिपो द्वारा तब तक नहीं वापिस की जाएगी जब तक उस डिपो द्वारा जारी किए गए एस. टी.-5 फार्म में लिखित सारे छावनी परिषद् की देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाता और "कुछ देय नहीं है प्रमाण पत्र" जो छावनी परिषद् कार्यालय से प्राप्त किया जाना है तथा संबंधित ए. एस. सी. ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है" शामिल किया जाएगा ।

(ग) अधिनियम 59 की धारा (1) में लिखित "पांच रुपए" के स्थान पर "एस रुपए प्रति स्थापित किए जाएं ।

पी. डोनियल
छावनी अधिशासी अधिकारी
जालन्धर छावनी

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Mumbai, The 1st March 1997

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F. (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended December 1996 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs./Grants	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		CALCUTTA CIRCLE			
		3% Conversion Loan 1946			
CA 315090	Rs. 5,000/-	Moni Mohan Pramanick (Deceased)	Interest upto 64th half year has been paid	Hemanta Kumar Pramanick	File No. 1-2505 G.M's order dated 12-12-1996 vide Dy. No. L.C.O. 127/96-97 dated 01-01-1997.

LIST 'B'

No. of Security	Value	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. & Date of orders issued	Date of publication under Public Debt Acts 1944 of list in which the security was first mentioned
1	2	3	4	5	6	7
			AHMEDABAD CIRCLE			
			3% Conversion Loan 1946			
AD 003983	900/-	The Collector, Bhavnagar	16-9-1973	The Collector, Bhavnagar (In the capacity of Trustee of following Trusts)	Lost case No.LN/S/311 Chief Gen. Manager's order dated 1-11-96 and	
AD 005989	100/-		16-9-1976			
AD 007379	200/-		16-3-1977	1. Basaheb of Talaja 2. Bhavsinhji	C.O. Diary No. 118 dated 1-11-1996.	
AD 010058	1300/-		16-9-1981	Chorsashi Fund		
				3. Nagnath Mahadev Fund		
				4. Malnath Mahadev Fund		

1	2	3	4	5	6	7
			9% Relief Bonds 1987			
AD 001428	20,000/-	Pranlal R. Shingala & Savita P. Shingala	30-1-1992	Savita P. Shingala	Lost case No. LN/ S/328 Chief Gen. Manager's order dated 24-10-96 and Central Office Diary No. 115 dated 24-10-96.	—
AD 001429	10,000/-	Do.	3-2-1992	Do.	Do.	
AD 001185	25,000/-	Do.	1-2-1991	Do.	Do.	
AD 001292	25,000/-	Do.	6-9-1991	Do.	Do.	
			NATIONAL DEFENCE GOLD BONDS, 1980 SR. 'A'			
AD 004927	100 gms	Narendra Navinchandra	26-10-1979	Sanjiv Ramesh Choksy	Lost Case No. LN/S/76 C.GM's Order dated 16-3-96 C.O.'s Diary No. 243A dated 18-3-1996.	

V.D. Chouhan
P. Chief General Manager

PS. (Enclosure to letter No. CO DT 14-02-000/2292/96-97, dated 31-1-1997 to be published as corrigendum.)

PUBLIC DEBT OFFICE

Kanpur-208 001, The March 1997

In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under section 26 of the Public Debt Act 1944 and published in the Gazette of India of the 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70 .8/52 dated the 29th April 1954 and the notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended 31st January 1997 is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Public debt Office, Kanpur.

The list has been divided into two parts—List 'A' being securities now advertised for the first time and list 'B' the list of securities previoulsy advertised.

LIST 'A'

No. of security	Value in Rs./Grams.	In whose name Issued	From what date bearing interest	Name (s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. & date of order issued
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6 1/4% P.F.C. Bonds 1988		
KN 000039	15000/-	Bank of Baroda	Interest due from 18th Half-year	Gratuity Fund of Hind Chemicals Ltd.	File No. LNG.237 Dy. General Manager's Order No. IR-1528/61 dt. 20-6-1996.

1	2	3	4	5	6
KN 000034	5000/-	State Bank of India	5-6-1980	Hind Chemicals Ltd., Employees' Provident Fund Trust	File No. LNG-242 Dy. General Manager's Order No. IR-1530/61 dated 20-6-96.

LIST 'B'

Security No.	Value in Rs./Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of claimant for issue of duplicate/payment of discharge value.	No. and date of order passed	Date of Publication under Public Debt Act, 1944 of list in which the securities were first published
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

——NIL——

P. CHIEF GENERAL MANAGER

UNION BANK OF INDIA

(INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT)

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 021, the 20th December 1996

No. 3(f)/20-12-96.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called Union Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Regulations 4 of the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 (hereinafter called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after Clause (d), the following Clause shall be inserted, namely :—

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting the Officer's pension".

(b) Under the heading "Major Penalties" the Clause (e) (f), (g) and (h) shall be re-numbered as Clause (g) (h), (i) and (j);

(c) Before the re-numbered Clause (g) the following shall be inserted namely :—

"(f) save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay".

(d) For the re-numbered Clause (g) the following may be substituted namely :—

"(g) reduction to a lower grade or post".

3. In sub-regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words, brackets and figures "Clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "Clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

4. In sub-regulation 1 of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets, and figures "Clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets and figures "clauses (a) to (e) of Regulation 4" may be substituted.

5. In the first proviso to sub-regulation (ii) of Regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets, and figures "clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

6. In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets, and figures "Clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4" the words, brackets, and figures "clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

NOTE : Earlier Amendments to Union Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in Part III Section 4 of the Gazette of India as per details given below :

Sr. No., Notification No. and Date

22 Part III Section IV 3-6-89.

V. B. NAIK
Dy. General Manager (P)

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 29th January 1997

No. UT/DBDM/SPD-85/R206/96-97.—The amendments to the provisions of the PRIMARY EQUITY FUND made under Section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963) approved by Circulation on 18th December 1996 are published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

ANNEXURE

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF THE

PRIMARY EQUITY FUND

I. The following sub-clauses (ea) and (ia) are inserted after existing sub-clauses (e) and (i) respectively in Clause III on 'Definitions' in the scheme :

(ea). 'Bodies Corporate' includes societies registered under the Societies Registration Act, 1860 or established under any

state or central law for the time being in force; this expression shall include banks, financial institutions and companies registered under the Companies Act, 1956.

(ia). 'Overseas Corporate Bodies (OCBs)', include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas Trusts in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

II. Following items (v), (vi) & (vii) are inserted in sub clause (1) of clause V on "APPLICATION FOR UNITS":

(v) Other Bodies Corporate including societies, banks, financial institutions and companies formed under the Companies Act, 1956.

(vi) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(vii) Foreign Institutional Investors (FIIs) registered with SEBI.

III. In the existing Clause IX on "MODE OF PAYMENT" sub-clause (3) & (4) are inserted as:

(3) MODE OF INVESTMENT WITH REPATRIATION BENEFITS: The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested, income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India.

Investment in these cases can be made through one of the following modes:

(a) Draft in foreign currency.

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/exchange house drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a bank in India.
pondent banks.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors. Surplus if any, will be remitted back to NRI investors (after deducting bank charges for such remittance) at the ruling rate of exchange. In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instrument mentioned at (b) & (c) above.

(e) Foreign Institutional Investors shall pay their subscription by direct remittance from abroad or out of their special Non-Resident Rupee account maintained with a designated bank in India.

(4) MODE OF INVESTMENT WITHOUT REPATRIATION BENEFITS:

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A.D. (M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/tax consultants if they desire remittance of dividend on units.

V. The first paragraph of existing sub clause 5 of Clause IX on 'Applicant bound to comply with requirements under the scheme before being issued units' is amended as follows:

Persons applying for units under the scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust, such as Trust deed in the case of application from a Trust, Birth Certificate in the case of application on behalf of minor, requisite documents as per RBI Regulations, if any, in case of NRI, Memorandum and Articles of Association in case of Companies etc. depending on the category of the investor.

VI. The existing sub clauses (3), (4) and (5) of Clause IX on "Mode of Payment" shall be renumbered as (5), (6) (7).

VII. In Clause X on "APPLICATION BY AND REGISTRATION OF TRUSTS AND MINORS" sub-clause (1) & (3) are amended as:

(1) Eligible Trusts, Bodies Corporate, OCBs and FIIs may be registered as unit holders.

(3) Applications by eligible trusts, bodies corporate, etc. shall be accompanied by the relevant documents showing the applicant's competence to invest in units, such as Trust Deed, Memorandum and Articles of Association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

VIII. The last sentence of Clause XI. on "Sale of units and date of allotment" is amended as:

A Unit Certificate issued to an Eligible Trust or Body corporate shall be in the name of such Trust or Body Corporate.

IX. Sub clause (2) of clause XXIX on "Nomination by Unitholders" is amended as:

Unitholders being either parent or lawful guardian on behalf of a minor, an eligible trust, bodies corporate, OCBs and FIIs shall have no right to make any nomination.

The 30th January 1997

No. UT/DBDM/R-207/SPD-185/96-97.—The provisions of the Capital Growth Unit Scheme 1992 (Mastergain 1992) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th April, 1992 and amended in the Executive Committee meetings held on 09th November 1992, 22nd December 1993, 31st January 1994, 19th December 1994 06th March 1995 and 18th July 1996 are published herebelow.

A. J. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME-1992 (MASTERGAIN-92)

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust hereby makes the following Unit Scheme :

1 [HIGHLIGHTS

* Open ended growth scheme.

* Open to both resident and non resident adult individuals/minors/HUFs/Trusts/Bodies Corporate (including banks and companies registered under the Companies Act, 1956)/Overseas Corporate Bodies (OCBs)/FIIs.

* Repurchase at NAV based price

* Liquidity by way of listing on major stock exchanges.

RISK FACTORS

* Investment in units of the Scheme are subject to market risks and the NAV of the scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the scheme's portfolio.

* Performance of the previous Schemes/Plans of the Trust is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Scheme will be achieved.

1. Inserted on 18-7-96.

[* Capital Growth Unit Scheme 1992 is only the name of the Scheme and does not in any manner indicate the quality of the Scheme. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the scheme].

The detailed features of the scheme are as given below :

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) This Scheme shall be called the Capital Growth Unit Scheme-1992 (Mastergain-92).

(2) It shall come into force on April 20, 1992.

(3) Units will be on sale from April 20, 1992 to May 18, 1992.

[1][The sale of units under the scheme will be kept open throughout the year from 1st January 1997 except during the book closure period not exceeding 45 days in an accounting year].

Provided that the Chairman or Executive Trustee may suspend [2][ ] the sale of units under the Scheme at any time after the commencement of the Scheme by giving 7 days' notice in leading newspaper or in such other manner as may be decided.

2. OBJECTIVE :

This Scheme primarily aims at securing for the unitholders capital appreciation on their investment in units by investing the funds of the Scheme in equity shares and convertible and non-convertible bonds/debentures of companies with good growth prospects and money market instruments.

3. DEFINITIONS :

In this Scheme, unless the context otherwise requires :—

(a) the 'Act' means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) 'Applicant' means an applicant under the Scheme and shall include all those categories of persons more particularly described in clause 5 hereinafter mentioned.

(c) 'acceptance date' with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(d) 'body corporate' includes a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or established under any State or Central Law for the time being in force, such society being hereinafter referred to as 'a society'; This expression shall include banks and companies registered under the Companies Act, 1956.

(e) 'Date of allotment' shall be [3][the acceptance date].

(f) 'Eligible trust' shall have the meaning assigned to it under clause (aaa) of Regulation 2 of the Regulations.

(g) 'Listed' means the listing of units for the purpose of trading in Stock Exchanges which are for the time being recognised under Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(h) 'Lock-in-period' shall mean a period of three years from the date of allotment of units under the Scheme after which repurchases by the Trust shall commence.

[4][(ha) 'Non Resident Indian (NRI)', means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents, or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935 as originally enacted].

(i) 'number of units in issue' means the aggregate of the number of units sold and outstanding;

[4][(ia) 'SEBI' means the Securities and Exchange Board of seas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas Trusts in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons].

(j) 'Regulations' means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act.

(k) 'recognised stock exchange' means a stock exchange, which is, for time being, recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(l) 'scheme' means the Capital Growth Unit Scheme 1992, as amended from time to time.

[4][(la) 'SEBI' means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)].

(m) 'trading' means the dealing in by, buying or selling through any of the Stock Exchanges.

(n) 'Unit' means one undivided share in the face value of ten Rupes in the unit capital of this Scheme;

(o) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

4. FACE VALUE OF EACH UNIT :

The face value of each unit shall be Ten Rupees

5. APPLICATIONS FOR UNITS :

(1) Applications for units may be made by the following classes of persons :

(i) An individual or individuals, (not exceeding 3) none of whom is a minor, [5][Notwithstanding anything contained in any clause, in the event of transfer of units under the Scheme either through the Stock Exchange/s where the Scheme is listed or otherwise, the facility to hold units on Either or Survivor basis shall not be available to the Transferee(s) under the Scheme and any request for such a facility by the said Transferees shall not be entertained by the Trust under any circumstances].

(ii) A body corporate as defined hereinbefore;

(iii) [6][ ]

(iv) An eligible trust as defined in the Regulations in accordance with and to the extent provided in the Regulations;

1. Inserted on 18-07-96.

2. "Or extend" deleted on 18-07-96.

3. Substituted for 1-8-1992 on 18-07-96.

4. Inserted on 18-07-96.

5. Inserted on 09-08-93.

6. 'A parent, step-parant or other lawful guardian on behalf of a minor', deleted on 19-07-96 to come into effect from 01-01-97.

3[v) Hindu Undivided Family.] and

4[(vi) Non-Residents-individuals, HUF and OCBs-on repatriable and non-repatriable basis. Non Residents can invest on repatriable basis when remittance is in foreign currency either from FCNR/Ac. or NRE A/c. or directly.

(vii) Foreign Institutional Investors (FIIs) registered with SEBI and having Reserve Bank of India's approval under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973].

(2) An application shall not be made jointly on behalf of a minor and another person

(3) Application shall made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust.

(4) The minimum number of units applied for shall be 200 units and applications for further units shall be in multiples of 100 units.

(5) 5[ ].

(6) (a) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque, draft. Cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated. Provided, however, that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its office, he may do so by sending to the nearest office of the Trust, the application with the Bank draft for number of units applied for deducting therefrom charges payable for the bank draft.

(b) If the payment is made by cheque or draft, the acceptance date will, subject to such cheque or draft being realised, be the date on which the cheque or draft, as the case may be, is received by the Trust or by a designated branch of an authorised bank or authorised collection centre. If payment is made by draft the acceptance date will subject to such draft being realised be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust or a designated branch of an authorised bank or an authorised collection centre within 6[15 days from the date of issue of the draft]. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for and other charges payable by the applicant, he shall be issued the number of units in multiples of 100 nearst to the number applied for by him and the balance, if any, due to him shall be refunded to him at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(c) A unit certificate will be sent by registered post with or without acknowledgement due to the address given by the applicant; and the Trust will not incur any liability for loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

(d) A unit certificate issued by the Trust to an eligible trust or institution or corporate body shall be made out in the name of the trust, institution or body corporate.

7. APPLICATION BY AND REGISTRATION OF BODIES CORPORATE SOCIETIES ELIGIBLE INSTITUTIONS/ TRUSTS AND MINORS

(1) Eligible trusts, bodies corporate and societies may be registered as unitholders.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult shall furnish to the Trust in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made of such adult in the application form without any further proof.

3) Applications by eligible trust, societies or other corporate bodies shall be accompanied by the relevant documents showing the applicant's competence to invest in units, such as, Memorandum and Articles, Trust deed, Bye-laws, etc., an authorised copy of the resolution by the managing body and a copy of the requisite power of attorney.

1[7A. LIMITATION ON EXPENSES

The following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly Net Asset Value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

EXPENSES	%
Administrative Expenses	1.00
Commission payment	1.25
Custodial Fees	0.25
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.30
Total	3.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 3% of the weekly average net asset value during any accounting year, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the Scheme during the accounting year.

The fees, expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI].

8. SALE OF UNITS

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust or its agent, as the case may be, shall, as soon thereafter as possible, send the applicant an acknowledgement therefor. 2[Within six weeks from the date of acceptance of the application], the Trust shall issue to the applicant certificates in marketable lot of 100 units upto a maximum of 3[20] certificates and for investment beyond this one consolidated certificate representing the balance units sold to him. This consolidated certificate will be split once free of cost on request from the unitholder.

4[However on request in writing from the unitholder the Trust shall at its discretion and on compliance with requisite operational and procedural formalities consolidate the certificates so issued in marketable lots into denomination of 10,000 units each. The balance units shall be issued in lots of 100 units each. The unit certificates issued in denominations of 10,000 units shall be split once in multiples of 100 units, free of cost, on request from a unit holder. For the purposes of repurchase/transfer/transmission/buy back of the units comprising in the Jumbo Certificate the Trust/ Unitholder shall comply with such procedural/operational formalities as may be required.]

3. Inserted on 30-03-93.

4. Inserted on 18-07-96.

5. Each applicant will be allotted upto 5000 Mastergain units (Rs. 50,000/-) and thereafter allotment will be at the discretion of the Trust taking into account the overall subscription. deleted on 18-07-96.

6. Substituted for "such time as may be deemed reasonable by the Trust" on 18-07-96.

1. Inserted on 18-07-96.

2. Substituted for 'As soon as possible thereafter' on 18-07-96.

3. Substituted for "10" on 19-12-94.

4. Inserted on 19-12-94.

[5][8A. SWITCH OVER OPTION

Notwithstanding anything contained in the provisions hereof, the Trust may at its discretion at any time during the currency of the Scheme/on termination of the Scheme [6][ ] *permit the unitholders of this* Scheme to switch over to another Scheme/Plan launched or in operation at that time at such price(s), in such form and manner and subject to such terms and conditions as may be decided and announced by the Trust.]

[7][8B. INVESTMENT OBJECTIVE

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial issue expenses generally by invested consistent with the objective of the scheme in the following manner :

(1) Atleast 80% funds of the scheme will be invested in equity and equity related instruments. The risk profile of equity investments will be medium to high.

(2) Upto 20% of the funds of the scheme will be invested in debt and money market instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

Notwithstanding the aforesaid, investments in money market instruments will be consistent with the guidelines of SEBI on the same.]

9. [8][COMPUTATION AND DISCLOSURE OF NET ASSET VALUE (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication every week.]

[9][Notwithstanding anything contained in these provisions, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.]

10. TRADING OF UNITS

(a) [10][The units are listed on the Stock Exchanges at Mumbai, New Delhi, Calcutta, Madras, Bangalore, Ahmedabad, Hyderabad, Kanpur and Jaipur.] The Trust will announce the net asset value once in a week and intimate the value to all the Stock Exchange for the purpose of being quoted.

5. Inserted on 06-03-95.

6. 'in case of extension of the Scheme' deleted on 18-7-96.

7. Inserted on 18-7-96.

8. Substituted for PUBLICATION OF THE NET ASSET VALUE

(a) The Net Asset Value of the Scheme shall be calculated at Bombay once in a week after deducting from the said aggregate value the liabilities incurred for the said Scheme and other expenses on a proportionate basis which in the opinion of the Scheme is sufficient to cover the stamp duties and other expenses payable on a deemed realisation of the investment and shall be published in the leading daily newspapers in India. Intimation will also be sent simultaneously to all the Stock Exchanges in India of the said value in a manner most suitable. Valuation so published shall be valid till the next publication of value.

(b) In the event of unforeseen circumstances, if the valuation is not so published for a given week or for one or more such weeks, the Trust shall not be deemed to have violated any of the provisions hereof.

(c) Trading of units over Stock Exchanges shall always be deemed betwen intending buyers and sellers for genuine investment purposes and the Trust shall have no control over such tradings' on 18-7-96.

9. Inserted on 18-7-96.

10. Substituted for "The units will be listed in all or some of the Stock Exchanges", on 18-7-96.

(b) A unitholder desirous of liquidating his holdings may trade the units through any of the said Stock Exchanges.

(c) The Trust will not either directly or in any manner indicate the price or prices at which the units could be bought or sold through the market. However, the last prices at which units were bought or sold at the Stock Exchanges in a trading will be published in leading daily newspapers.

The Trust, however, retains the right to delist the units from the stock exchanges if in the interest of the unitholders or the Trust it is deemed necessary to do so.

(d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the relative unit certificates to the Registrars of the Trust for giving effect to the transfer if found in order.

(e) No application for transfer will be accepted by any omces of the Trust and the Trust will not deal with the unitholders for any purpose.

(f) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unitholder or a prospective unitholder. However, for the purpose of determining the stamp duty to any payable on transfer of units the average of the high and low prices that ruled on the date prior to the date of transfer shall be basis for the charge. [11][10(A) BUY BACK OF UNITS

Notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme :

(a) The Trust may buy back units under the Scheme from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV.

(b) The Trust may buy back upto 25% of the unit capital issued under the Scheme in any one financial year as an overall limit. The units which are brought back will be redeemed.

Explanation

(i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed.

(ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.]

11. REPURCHASE OF UNITS

[12][(a) The unitholder shall be under no obligation to offer his units for repurchase and will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme.

(b) Repurchases will be effected on receipt of the unit certificate with the form on the reverse duly filled in for repurchase of all the units comprised in the certificate on the date of repurchase. The Unit Trust shall also repurchase all the units indicated in the certificate on receipt of a request for repurchase from the unitholder(s) in the prescribed form signed by all the unitholder(s). The unit certificate and form if any, shall be retained by the Unit Trust for cancellation.

(c) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(d) Payment for units repurchased by the Unit Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.]

11. Inserted on 22-12-93.

12. RESTRICTIONS ON SALE AND REPURCHASE OF UNITS :

Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Scheme, the Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units :

(i) on such days as are not working days ;

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of unitholders is closed in connection with the annual closing of the books and accounts ; and

(iii) after the date of termination of this Scheme is notified by the Trust.

12. Substituted for However, during the 4th, 5th, 6th and 7th years from the date of allotment (from 1-8-95) while the units will continue to be listed in Stock Exchanges the Trust will be ready to repurchase units at the prevalent repurchase price from unitholders on a first come first served basis who offer the units for repurchase during such period or periods aggregating to not less than 60 days in a year. Provided that the trust shall be at liberty to repurchase units upto such limit not exceeding 25% of the original issued capital of the Scheme during the said period(s) of offer for repurchase.

The repurchases effected in such a manner will be subject to the following provisions

(a) Repurchases will be effected only after lock in period on receipt of the unit certificate with a form on the reverse duly filled in for repurchase of all the units comprised in the certificate on the date of repurchase. The certificate will be retained by the Trust for cancellation.

(b) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(c) Where an application for repurchase of units from him has been accepted by the Trust, the Trust shall as soon thereafter as possible send the applicant an acknowledgement therefor.

(d) Payment for the units repurchased by the Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in his application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

2[Notwithstanding anything contained in the provisions hereof, the Trust may at its discretion repurchase units during such further period(s), at such price(s) and subject to such terms and conditions and in such form and manner as may be decided and announced by the Trust.] on 18-7-96.

2. Inserted on 6-3-1995.

Explanation

For the purposes of this Scheme, the term "working day' shall mean a day which has not been either :

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has offices, or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the head office of the Trust will be closed.

13. RIGHT OF TRUST TO ACCEPT OR REJECT APPLICATION

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept or reject applications for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of persons to make an application under the Scheme shall be final.

14. APPLICANT TO COMPLY WITH REQUIREMENTS UNDER THE SCHEME BEFORE BEING ISSUED UNITS

Persons applying for units under the Scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application under the Scheme and to comply with all the requirements of the Trust. A person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unit certificate cancelled and his name shall be deleted from the register of unitholders. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par. The amount shall not carry any rate of interest irrespective of the period it takes the Trust to repurchase and remit the repurchase proceeds to the applicant.

15. 1[SALE AND REPURCHASE PRICE

(1) The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as "the sale price"), and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust (hereinafter referred to as the "repurchase price") shall be declared on a weekly basis. The sale price will be the NAV (historic). Repurchase price will be at a discount of 5% to the NAV (historic).

(2) The sale price or the repurchase price of a unit shall be arrived at one the basis of the material available with the Unit Trust on the day on which the sale price, or the repurchase price, as the case may be, is arrived at.

The calculation of sale and repurchase price and the spread between them shall be as per the recommendations of the Expert Committee set up by SEBI in this regard.

16. PUBLICATION OF SALE AND REPURCHASE PRICE

The Unit Trust shall, as early as possible after the determination of the sale and repurchase price issue them to the press for publication.]

1. Substituted for Repurchase Price : (1) The price at which a unit will be repurchased by the Trust, is hereinafter referred to as "the repurchase price".

2[(1A) The Trust shall announce the repurchase price one year after the date of allotment of units and thereafter on a half yearly basis.]

2[(1B) After a period of three years from the date of allotment of units the repurchase of units shall commence and the Trust shall declare a repurchase price on the first of every month or as frequently as may be necessary.]

(2) The repurchase price shall be arrived at by dividing the value (determined as hereinafter indicated) as at the close of business on the working day immediately preceding the day on which the reprchase price is determined, of the assets pertaining to this scheme, reduced by liabilities in respect of the unit capital including reserves, if any, as at the close of business on the said working day by the number of units in issue as at close of business on the said day, deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to the realisation of investments by the Trust.

3[Provided if the Trust is satisfied that it is in the interest of the Trust and the unitholders, it may vary the repurchase price as arrived at in the manner detailed above to such extent as it may deem fit.]

(3) The repurchase price of a unit shall be arrived at on the basis of the material available with the Trust on the day on which the repurchase price is arrived at.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained hereinabove, when the Trust is satisfied that it is in the interest of the Trust and the unitholders to vary the repurchase price as arrived at the manner detailed above it may to such extend as it may deem fit, as the case may be, in the event of a complete breakdown or dislocation of business in the financial market due to war, insurrection, civil commotion or any other serious or sustained political and industrial disturbance or if the whole present basis of stock exchange prices should undergo a substantial change through the occurrence of some catastrophe or similar event, it may vary the sale or repurchase price or both to such an extent as it may deem fit.

16. Publication of Repurchase Price : The Trust shall, as early as possible after the determination of the repurchase prices, publish in such manner as it may deem fit repurchase price of units on 18-7-96.

2. Inserted on 9-11-92.

3. Inserted on 6-3-95.

17. VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THIS SCHEME :

1[Quoted investment including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of two months prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of two months prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the maket rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unqouted equity and preference shares including those under lock-in-period are quoted at cost.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity (YTM), as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discaunted for dividend element, if any. The non-convertible portion, if any; of surh debentures and bonds is valued as in (4) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(7) Money Market instruments are taken at book value.

(8) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing interest rates.

(9) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investment and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

Notwithstanding anything contained in these provisions the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provosions of SEBI (MF) Regulation/Guidelines/ Directives issued by SEBI from time to time.]

1. Substituted for (1) For the purpose of valuation of the assets under sub-clause (2) and (4) of Clause 12, the assets shall be classified into : (a) cash (b) investments and (c) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking :

A. (a) the closing price on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this schemes provided where security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in, or quoted on any recognised stock Exchange, such value as the Trust may in the circumstances consider to be the fair value of such investments; and

B. Adding thereto—

(a) in the case interest earning deposits, interest accrued but not received :

(b) in the case of Government Securities and debentures, interest accrued but not received, and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend any dividend declared but not received.

(3) Other assets shall be valued their book value on 18-07-96.

18. FORM OF UNIT CERTIFICATE :

1[Unit Certificates issued in marketable lost of 100 units shall be as per Form A annexed herewith & Certificates issued in denominations of 10,000 units shall be as per Form B annexed herewith. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number(s), the number of units represented by the certificate and the name of the unit holder.]

19. MANNER OF PREPARATION OF UNIT CERTIFICATE :

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board of Trustees may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a machanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears therein may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificate on behalf of the Trust.

Provided further that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Trust may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

20. TRUST NOT TO BE RECOGNISED REGARDING UNITS :

The person who is registered as the holder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unit holder and as having any right, title or interest in or to such Unit Certificate and the units which it represents, and the Trust may recognise such unit holder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent juridiction ordered, to recognise any trust or equity or other interest affecting the title to any Unit Certificate or the units thereby represented.

21. EXCHANGE OF UNIT CERTIFICATES AND PROCEDURE WHEN CERTIFICATE IS MUTILATED, DEFACED, LOST ETC. :

(1) Subject to the provisions of this Scheme, every unit holder shall be entitled to exchange any or all of his Unit Certificates for one or more Unit Certificates of such denominations in multiples of 100 units as he may require, representing the same aggregate number of units. While applying for such exchange, the unit holder shall surrender to the Trust the Unit Certificate or Certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all moneys (if any, payable, thereunder) in respect of the issue of the new Unit Certificate or Certificates.

(2) (a) In case any Unit Certificate is mutilated or defaced the Trust in its discretion may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate represents. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, in its discretion issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have

(i) furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or defacement) produced and surrendered to the Trust the mutilated or defaced Unit Certificate; and

1. Substituted for "Unit Certificates shall be in Form A annexed hereto. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder." on 19-12-94.

(iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require.

(b) The Trust shall not incur any liabilty for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(3) Before issuing any Certificate under the provisions of this clause the Trust may require the applicant for the Uffit Certificate to pay a fee of Rupee one per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payabel in connection with the issue and despatch of such Certificate.

22. REGISTER OF UNIT HOLDERS :

The following provisions shall have effect witn regard to the registration of unit holders—

(1) A Register of the unitholders shall be kept by the Trust and these shall be entered in the register :

(a) the names and addresses of the unit holders;

(b) the distinctive number of the Unit Certificate or Certificates and the number of units held by every such persons and;

(c) the date on which such person become the holder of the units standing in his name.

(2) No application for registration as a unit holder shall be entertained unless the application relates to a multiple of 100 units.

(3) Any change of name or address on the part of any unit holder shall be notified to the Trust, which on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(4) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unit holder, without charge.

(5) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 1[45] days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board may direct.

Provided however, that after the publication of the intimamation by the Trust of the termination of this Scheme, the Trust would be entitled to close the register for more than 1[45] days in any one year and thereafter the Trust would not be liable to accept any transfers of units for registration with the Trust or to give effect to any transfer of units by any unitholder after the date so notified and any application for transfer of units thereafter shall be deemed inoperative and the Trust shall not be liable for any loss that any unitholder may suffer on that account.

(6) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

23. RECEIPT BY UNIT HOLDER TO DISCHARGE TRUST :

The receipt of the unit holder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Certificate shall be a good discharge to the Trust.

24. NOMINATION BY UNITHOLDERS :

(1) Unitholders holding units singly or two unitholders holding jointly may exercise the right to make or cancel a nomination in favour of not more than 2 persons subject to the regulations made in this regard.

(2) Unitholders being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, shall have no right to make any nomination.

1. Substituted for "60" on 18-07-96 which was earlier substituted for "30" on 31-01-94.

25. TRANSFER OF UNITS :

(1) Transfer of units shall be permissible.

(2) Every unitholder holding units shall be entitled to transfer units or any of the units held by him by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust. Provided, that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee being a holder of a No. of units not being a multiple of 100.

(3) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof. This clause shall be read in conjunction with "Trading of Units".

26. DEATH OR BANKRUPTCY OF A UNITHOLDER :

(1) In the event of death of a unitholder, the nominee/s shall be person/s recognised by the Trust as the person/s entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the regulations.

(2) In the absence of a valid nomination by a unitholder the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the unit.

1(3) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder, may, upon producing such evidence, as to his/her title, as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at the repurchase price fixed by the Trust periodically, after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.]

(4) In the event the sole nominee under the Unit Certificate is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a unitholder and continue to remain registered as a unitholder and shall be issued a unit certificate in his name in respect of units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

27. INVESTMENT LIMITS :

(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not.

1[The scheme may invest in derivative investments as and when permitted by SEBI and available for investment by the scheme.

Any subscription received under the scheme from 01-01-97 shall be invested in conformity with the SEBI Regulations and regulatory framework for Unit Trust of India viz.

(1) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

1. Substituted for "Any person becoming entitled to the units consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at par after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant", on 09-11-92.

1. Inserted on 18-07-96.

(2) No term loans will be advanced by this scheme.

(3) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instrument shall not exceed 10% of the total assets of the scheme.

(4) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(5) Not more than 10% of the funds of all the schemes of the Trust taken together including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(6) Not more than 15% of the funds of all the schemes of the Trust including this scheme shall be invested in shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(7) Transfer of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the scheme/plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan shall be as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(8) The scheme shall not invest in or lend to another scheme/plan of the Trust, unless otherwise provided by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.

(9) The scheme shall not borrow funds to finance its investments, unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.]

28. INCOME DISTRIBUTION :

The Trust may or may not declare income distribution under the Scheme depending upon the income received under the Scheme and the expenses incurred thereunder. The income distributable, if any, shall be paid as soon as may be possible after the closing of the annual accounts as on the 30th of June each year.

1[In case of declaration of dividend, the Income Distribution Warrants shall be despatched within 42 days from the date of declaration of the dividend.]

29. PUBLICATION OF ACCOUNTS :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the Scheme during the period ending as of that date. The Trust shall, on a request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts so published.

1[The fees, expenses and accounting policies will be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

29A. DEVELOPMENT RESERVE FUND (DRF) CONTRIBUTION :

0.10% of the weekly average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the DRF of the Trust every year.

29B. STAFF WELFARE TRUST CONTRIBUTION :

0.10% of the weekly average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust of the Trust every year.]

1. Inserted on 18-07-96.

30. ADDITIONS AND AMENDMENTS TO THE SCHEME :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette.

1[Amendments to the provisions of the scheme shall be effected with prior approval of the Executive Committee and of SEBI.]

31. 2[ ]

32. SCHEME TO BE BINDING ON UNITHOLDERS :

The terms of the Scheme including any amendment, changes thereto from time to time should be binding on each unitholder and any other persons claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding any thing contained in the provisions of the Scheme.

33. BENEFITS TO THE UNITHOLDERS :

All benefits accruing under the Scheme in respect of capital and reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme shall be available to the unitholders who hold the units for the full term of the Scheme till its closure.

34. COPY OF SCHEME TO BE MADE AVAILABLE :

A copy of this Scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the Offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application on payment of Rs. 5/-.

35. POWER TO CONSTRUE PROVISIONS :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decisions shall be conclusive.

---

2. TERMINATION OF THE SCHEME : 3[The Scheme shall stand finally terminated on 1st August, 1999. Unitholders shall be paid the value of the units at the repurchase price fixed for the final repurchase. Besides receiving the final repurchase price determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue and the repurchase value will be paid by the Trust as early as possible after the Unit Certificate with the form on the reverse thereof duly completed has been received by it. The Unit Certificate received for repurchase shall be retained by the Trust for cancellation.

The Trust also reserves the right to extend the Scheme beyond seven years in which case the unitholder will be given an option to either sell back the units to the Trust or to invest in any other Scheme/Plan launched or in operation at that time in the manner as decided by the Trust.] deleted on 18-07-96.

3. Substituted for "The Scheme shall stand finally terminated on 1st August, 1999. All unitholders who have participated in the Scheme for its entire period shall be paid the value of the units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides, receiving the final repurchase price determined no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue and the repurchase value will be paid by the Trust as early as possible after the Unit Certificate with the form on the reverse thereof duly completed has been received by it. The Unit Certificate received for repurchase shall be retained by the Trust for cancellation." on 06-03-95.

36. RELAXATION/VARIATION/MODEFICATION OF PROVISIONS:

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient.

[1][RIGHTS OF UNITHOLDERS

1. Unitholders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend if any, declared by the scheme.

2. The unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders.

3. The unitholders are entitled to have the dividend warrants sent to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.

4. The unitholders have a right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection."

CUSTODIANS

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our schemes and plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per the instructions from the Trust and on reciept of consideration.

The custodians shall be generally authorised to attend to all non discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with].

1[the sale, repurchase, transfer and other dealing with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of securities belonging to the schemes/funds/plans of the Trust.

REGISTRARS

M/s. Datamatics Lt. have been appointed to work as Registrars. It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge it's responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints. Processing of applications and after sales services will be handled from the following office:

Plot No. B-5, MIDC
Part B, Cross Lane, Marol
MIDC Police Station
Andheri (East)
Mumbai 400 093
Tel No. 821 3383,
821 3453-54

DOCUMENTS AVAILABLE FOR INSPECTION

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Womens University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400 020.

* The UTI Act

* The General Regulations

* The agreements with the Custodians and Registrars.

* Copy of provisions of Mastergain 1992.]

FORM A

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)

CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME-1992

(CLAUSE 18)

UNIT CERTIFICATE NO.

NO. OF UNITS

This is to certify that the person/s name in this Certificate is/are the registered holder/s of ———— units each of the face value of Rs. ten, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the Regulations framed thereunder and the Capital Growth Unit Scheme (CGUS-92).

Name:

FOR THE UNIT TRUST OF INDIA

DATE CHAIRMAN TRUSTEE

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF ALL UNITS

Date:

To

Unit Trust of India

I/We ———— offer to the Trust for repurchase at the repurchase price on the acceptance date all units comprised in the Certificate.

The price of the units may be paid to me/us by* cash/cheque/bank draft at my own cost.

Signature/s of holder(s)

1. ————

2. ————

Signature of witness

Name: ————

Occupation: ————

Address: ————

————

————

————

Signature of witness

Name: ————

Occupation: ————

Address: ————

————

————

————

Acceptance date

* Delete words inapplicable.

++ [ ]

1. Inserted on 18-07-96.

++ 1. This Scheme matures for repayment on 20th July 1999. Thereafter no further benefit will accure.

2. This Certificate duly signed and witnessed by two witnesses by the holder must be submitted to the Trust before the 3 weeks of maturity deleted on 18-07-96.

Inserted on 19-12-94

FORM 'B'

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)

CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME - 1992

(MASTERGAIN - 92)

This is to certify that the person/s named in this Certificate is/are the Registered Holder/s of withinmentioned Units, each of the face value of Rupees Ten subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the regulations framed thereunder and the Capital Growth Unit Scheme-1992 (MASTERGAIN-92).

Reg. Folio No. MG- Unit Certificate No.

Name(s) of Holder(s)

No. of Units : Ten Thousand only (***10,000)

Distinctive No(s) : As per Annexure (The Annexuxre is an integral part of the Certificate).

MEMORANDUM OF TRANSFER OF UNITS UNDER MASTERGAIN-92 MENTIONED OVERLEAF

Date	Transfer No.	Regd. folio no.	Name (s) of Transferee (s)	Initials	Authorised Signatory

FORM OF REPURCHASE OF ALL UNITS UNDER MASTERGAIN-92

Date ————————

To

The Unit Trust of India

I/We ———————————— offer to the Trust for repurchase at the repurchase price on the acceptance date all units under MASTERGAIN-92 comprised in the certificate. The repurchase proceeds may be paid to me/us by cheque/bank draft at my/our cost.

Signature(s) of the holder(s)

1. ————————
2. ————————
3. ————————

Signature of witness
Name :
Occupation :
Address :

Acceptance Date

All correspondence regarding MASTERGAIN-92 may be addressed to the Registrars whose address is mentioned below :

M/s. Datamatics Ltd., Unit : MASTERGAIN-92, Plot No. A 16 and 17, MIDC, Part B, X Lane, Behind MIDC Police Station, Andheri (E), Mumbai-400 093.

Annexure to Certificate for 10,000 Units. Issued in lieu of following Certificates/Distinctive Nos. consolidated***

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)
Capital Growth Unit Scheme-1992 (Mastergain-92)

Reg. Folio No. MG, Name of First Holder, Unit Certificate No.

Sr. No. Old Cert. No. Distinctive Nos. No. of Units
Sr. No. Old Cert No. Distinctive Nos. No. of Units

For UNIT TRUST OF INDIA

Executive Trustee Chairman

COMPLAINTS DATA

FOR THE PERIOD 01-07-95 TO 30-09-96

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
1	2	3	4	5
CCCF	2907	2820	87	2.99%
CGGF	19868	19212	656	3.30%
CGS-83	22480	22284	196	0.87%
CGUS-91	6462	5767	695	10.76%
CRTS	169	165	4	2.37%
DIUP-93	575	550	25	4.35%
DIUP-95	722	667	55	7.62%
DIUS-90	5004	4736	268	5.36%
DIUS-91	6466	6314	152	2.35%
DIUS-92	3405	3335	70	2.06%
IISFUS	5	5	0	0.00%

1	2	3	4	5
GCGI	5318	4655	663	12.47%
Grandmaster-93	1237	1217	20	1.62%
GMIS-91	9564	9342	222	2.32%
GMIS-92	4646	4553	93	2.00%
GMIS-92 (II)	1301	1263	38	2.92%
GMIS-B-92	576	552	24	4.17%
GMIS-B-92 (II)	4930	4661	269	5.46%
Grihalakshmi UP-94	1927	1811	116	6.02%
Housing Unit Scheme	328	289	39	11.89%
MEP-91	8930	8448	482	5.40%
MEP-92	63043	62249	794	1.26%
MEP-93	24081	22576	1505	6.25%
MEP-94	16252	15913	339	2.09%
MEP-95	62779	62428	351	0.56%
MEP-96	2340	1277	1063	45.43%
Mastergain-92	74762	72356	2406	3.22%
Mastergrowth-93	3020	2899	121	4.01%
MIP-93	1994	1975	19	0.95%
MIP-94 (I)	4777	4741	36	0.75%
MIP-94 (II)	6129	5964	165	2.69%
MIP-94 (III)	11727	11353	374	3.19%
MIP-95	2808	2684	124	4.42%
MIP-95 (II)	3851	3627	224	5.82%
MIP-95 (III)	6693	6372	321	4.80%
MIP-96	896	777	119	13.28%
MIS-90 (I)	510	374	136	26.67%
MIS-90 (II)	4284	4189	95	2.22%
MIS-B-93	7243	7049	194	2.68%
MISG-91	5135	5045	90	1.75%
Masterplus-91	47644	46448	1196	2.51%
Mastershare-86	73695	67417	6278	8.52%
Omni Plan	75	63	12	16.00%
PEF	814	684	130	15.97%
Retirement Benefit Plan	3870	3602	268	6.93%
Rajlakshmi U.P.	10438	10044	394	3.77%
Senior Citizen U.P.	1642	1553	89	5.42%
UGS-2000	67749	62127	5622	8.30%
UGS-5000	16384	13124	3260	19.90%
ULIP	15761	13690	2071	13.14%
US-64	628393	598040	30353	4.83%
US-92	21799	20916	883	4.05%
US-95	4	4	0	0.00%
TOTAL	1297412	1234206	63206	4.87%

Reasons for pending complaints are

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.
(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.
(3) Change of address of investor not informed/not updated.
(4) Loss in Transit.
(5) Postal delay.
(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/repurchase.
(7) Incomplete details while forwarding.
(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.
(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to the investor/registrars to resolve the same.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following address :

WESTERN ZONE :
Unit Trust of India
Investor's Relation Cell
Commerce Centre 1, 28th Floor
G. D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel. : 2180172/2181600

EASTERN ZONE :
Unit Trust of India
Investor's Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor
Calcutta-700 001
Tel. : 2434581

SOUTHERN ZONE
Unit Trust of India
Investor's Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai
Madras-600 001
Tel. : 517101 Extn. 360/364

NORTHERN ZONE :
Unit Trust of India
Investor's Relation Cell
Herald House, 2nd Floor,
5-A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.
Tel. : 3329860

HISTORICAL DATA

Particulars		US 64			PEF		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
A. Gross Income		3622.78	3380.41	1748.52	—	2.39	14.78
B. Expenses (Including Provisions)		84.91	92.99	152.49	—	4.83	2.66
C. Net Income (A—B)		3537.87	3287.42	1596.03	—	—2.44	12.12
D. Dividends . . .		3128.07	3976.22	2733.78	—	—	—
E. NAV	Begining	—	—	—	—	—	9.95
	End	—	—	—	—	9.95	12.28
				—	—		
F. Repurchase	Begining	15.00	15.50*	15.00*	—	—	10.10**
	End	18.00@	18.05	16.25$	—	—	11.84
G. Expenses to Avg. Monthly Net Assets (%)		—	—	—	—	—	
H. Portfolio Turnover Rate		—	—	—	—	—	
I. Mkt. Price (High/Low)		—	—	—	—	—	—
J. Sale price	Begining	16.00	16.50*	15.50*	—	—	10.25**
	End	19.30@	19.35	17.20$	—	—	12.44
K. No. of Units (In Lakhs) (At the end of the Period)		120145.09	152757.34	135094.59	—	1749.42	1819.79

*For the Period 1st July to 15th July of the Year

@Notional for April' 94

* Notional the Month of May' 95

$- For the Period 1-5-96 to 15-5-96.

** For the Period 1-8-95 to 9-8-95

The 3rd February 1997

No. UT/DBDM/SPD-144/R-208/96-97.—The amendments to the provisions of the Unit Growth Fund Scheme-2000 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee at its meeting held on 4th November, 1996 are published here-below :

A. G. JOSHI,
General Manager,
Business Development and Marketing

ANNEXURE

The following shall be inserted as new clauses in the provisions of the scheme.

VB. Offer of units on rights basis

The Trust may offer units for subscription to such of the unitholders on such terms and conditions and in such form and manner as may be stipulated by the Trust for the purpose.

In the event of undersubscription, unitholders and renouncees shall be allotted all the units they have applied for, subject to overall size of the issue.

In the event of oversubscription, the Trust shall allot additional units on an equitable basis with reference to the number of units held by the unitholders as on the record date and within the overall size of the issue. Balance if any, of subscription money will be refunded.

For allotting units in the event of oversubscription the order of priority is as follows :

(a) full allotment to the unitholders who have applied for their rights entitlement either in full or in part and also to the renouncees who have applied for units renounced in their favour in full or in part ;

(b) to the unitholders who, having applied for all the units offered to them as rights and have applied for additional units ;

VA Issue of bonus units

The Trust may issue furhter or additional units credited as fully paid up to unitholders by capitalisation of reserve or otherwise and shall thereupon issue unit certificates in respect of such bonus units to the unitholders entitled thereto upon request or otherwise.

XVA. Notwithstanding anything contained in clauses XII, XIII, XIV & XV the Trust may decide to issue certificate in respect of bonus units upon request of a unitholder and not otherwise.

XVB. Provisions relating to unit certificate in this scheme shall be deemed to apply also in respect of bonus units.

XXIIID. Capitalisation

(1) The Trust may capitalise any sum for the time being standing to the credit of any reserve fund relating to this scheme or any other amount available for distribution to the unitholders and that sum be utilised or distributed for the purpose and in the manner specified in sub-clause (2) hereinbelow for the unitholders who would have been entitled thereto if distributed by way of income on the units held by them in the same proportions.

(2) The sum aforesaid shall be applied, subject to the provisions contained in sub-clause (3), either in or towards paying up in full the units to be issued and allotted credited as fully paid up to and amongst such unit holders in the proportions aforesaid.

(3) The Trust may accordingly make appropriations and applications of the sum decided by it to be so capitalised by allotment and issue of fully paid up units as bonus units, and generally do all acts and things required to give effect thereto.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kanpur-208001, the 5th February 1997

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3CCA(8) (4)/96-97.—In pursuance of Regulation 10 (1) (iv) read with Regulation 10 (2) (b) of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled w.e.f. the date mentioned against their names, as they have not paid their annual fee for the Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1.	039943	Mr. Ram Dayal, FCA, C/o R. D. Patel, P.O. 3016, Dar Es Salaam, Tanzania.	05-12-94
2.	093479	Mr. Rajesh Kumar, ACA, III-A-223, Rachna, Vaishali, Ghaziabad-201 010.	01-10-96

ASHOK HALDIA,
Secretary

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

CENTRAL OFFICE

New Delhi-110 066, the 3rd February 1997

No. 2/1959 DLI/Exemp/89/Pt.I/204 S.O.—WHEREAS the employees of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto The Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry	Period for exemption	CPFC's file No.
1.	M/s. Cement Corporation of India Ltd., 87, Nehru Place New Delhi-19 (17 branches)	DL/2227	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I dt. 12-2-90	29-10-91	30-10-91 to 29-10-94	2/2501/DLI
2.	M/s. Jay Shree Tea and Industries Ltd., Lal Dwara, Swami Tirath Ram Nagar, New Delhi-55 (5 branches)	DL/2819	2/1959/DLI/Exam/89 Pt. I dt. 26-2-92	28-8-94	21-8-94 to 20-8-97	2/1264/84/DLI/Pt. I
3.	M/s. Ujjwal Ltd. Asaf Ali. Road, New Delhi-2	DL/3255	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I dt. 23-12-92	17-9-94	18-9-94 to 17-9-97	2/384/80/DLI
4.	M/s. Mas Services Pvt. Ltd., AB-4, Safdarjung Enclave, New Delhi-29.	DL/4789	2/1959/DLI/Exam/89 Pt. I dt. Nil	31-8-90	1-9-90 to 31-8-93	2/2336/89/DLI
5.	M/s. Living Media India Ltd., 316, Competent House F-14, Middle Circle, Connaught Place New Delhi-1.	DL/6508	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I. dt. 25-5-93	30-4-91	1-5-91 to 30-4-94	2/2099/89/DLI
6.	M/s. SNS Pharmas Pvt. Ltd. 11 Community Centre, East of Kailash New Delhi-65.	DL/8859	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I dt. 29-7-91	28-2-94	1-3-94 to 28-2-97	2/2112/89/DLI
7.	M/s. Ammonia Supplies Pvt. Ltd. New Colony Model Basti, New Delhi-5.	DL/8914	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I dt. 19-1-93	31-8-91	1-9-91 to 31-8-94	2/2113/90/DLI
8.	M/s. Jaipur Golden Transport Company/472/1, Chist Chaman, Kishanganj Delhi-7 (with branches Agra, Bhiwani Faridabad Indore Rohtak, Rewari Rohtak, T. Ratlam and Meerut.	DL/783	2/1959/DLI/Exam/89/ Pt. I dt. 20-8-91	11-9-93	12-9-93 to 11-9-96	2/485/80/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are, enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a resonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/lagal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 4th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/217.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, The Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. & Date of Govt. Notification vide Which exemption was granted/extended	Date of expiry	Period for exemption	CPFC's File No.
1.	M/s. Belle Vue Clinic, 9, Dr, U.N. Brahmachari Street, Calcutta-17.	WB/15010	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/60 dt. 11-1-92	10-8-96	11-8-96 to 10-8-99	2(307)DLI/WB/80
2.	M/s. Magnet-India Ltd., 278, Camac Street, Calcutta alongwith three Branches.	WB/24973	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/672 dt. 31-1-91	26-7-96	27-7-96 to 26-7-99	2(1632)DLI/WB/87
3.	M/s. Hyderabad Industries Ltd., Heavy Engg. Division F.C. Hindmotor 712233, P.S. Uttar Pradesh, Distt. Hooghly(WB)	WB/28248	2/1989/DLI/Exemp/89/ Pt. I/178 dt. 13-2-95	31-3-96	1-4-96 to 31-3-99	2(5461)DLI/WB/94
4.	M/s. The Gramophone Co. of India Ltd., 33, Jassore Road, Dumdum Calcutta along with six branches.	WB/296	2/1989/DLI/Exem/89/ Pt. I/1239 dated 22-7-91.	26-3-94	27-3-94 to 26-3-97	2(37)DLI/WB/76
5.	M/s. VXL Lands & GYR Ltd., D.H. Road, P.C. Joka, Distt. 24 Parganas(s) (Formerly) VXY(P) Ltd. (Universal Electronics)	WB/11576	2/1989/DLI/Exemp/89/ Pt. I/1694 dated 21-9-91	26-3-94	27-3-94 to 26-3-97	2(174)DLI/WB/78

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as aleardy adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 4th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/235.—WHEREAS the employers of the estts. mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishmets) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefit admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Karnal from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Crystal Engineering Corporation, Yamuna Nagar.	HR/5212	1-3-91 to 28-2-93	2/22/95/HR/DLI.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-1100066, the 4th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/224. — WHEREAS THE employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Delhi from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Rama Vision Ltd., . . . 303-305, Ratan Jyoti Building, 18, Rajendra Place, New Delhi-110008	DL/12129	1-12-90 to 30-11-93	2/2/96/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance primia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/242. — WHEREAS THE employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Orissa from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s, Indian Rare Earths Ltd., ... Chatrapur, Ganjam, ORISSA.	OR/1704	1-6-91 to 31-5-94 & 1-6-94 to 31-5-97	2/5304/93/DLI.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employee.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy in allowed to lapse the examption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 5th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/448.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, The Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. & Date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry	Period for exemption	CPFC's file No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Jindal Public School, 16th K.M. Tumkur Road, Bangalore-73.	KN/7001	2/1959/DLI/Exm/89/ Pt. I, dt. 17-11-93	31-12-93	1-1-94 to 31-12-96	2/(5076)DLI/KN/93
2.	M/s. Ramesh Enterprises No. 18B Cross CMH Road, Laxmipuram, Ulsoor, B-8, Bangalore.	KN/9780	S-35014(104)86- Pt. II, dt. 7-3-96	6-3-89	7-3-89 to 6-3-92 and 7-3-92 to 6-3-95	2(1419)DLI/KN/93
3.	M/s. Nirvan Industries, 13A, Cross, CMH Road, Laxmipuram, Ulsoor, Bangalore-8.	KN/8494	S/1959/Exam/89/Pt. I, dt. 21-2-90	30-3-92	31-3-92 to 30-3-95	2(1426)DLI/KN/93
4.	M/s. Cavery Gramzena Bank, No. 3/4, Dewans Road, Mysore, alongwith 115 Branches.	KN/7300	35014(428)82-PF-II SSII dt. 24-3-96	14-1-92	15-1-92 to 14-1-95	2(16)DLI/KN/95

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipts of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 7th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/470. — WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishmen's in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Goa from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Damoder Packaging Co. Kare House, Near Metropole Cinema, P.O. Box 442, Margo, Goa.	Goa/10190	1-2-96 to 31-1-99	9(28) DLI/Goa/96
2.	M/s. Sanjivani Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., Dayanandnagar Post, Tiska, Goa.	Goa/9996	1-1-96 to 31-12-98	9(27) DLI/Goa/96
3.	M/s. Guala India Pvt. Ltd., ... 1st Floor, Sesa Ghar EDC Complex Patto, Panji, Goa.	Goa/10537	1-4-96 to 31-3-99	9(23) DLI/Goa/96
4.	M/s. Cement Bricks Industries Curti, . . Ponda, Goa.	Goa/10186	1-11-94 to 30-10-97	2(21)DLI/Go /96

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 7th February 1997

No. 2/1959/DLI/Exemp/89 Pt. 1/480. — WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the RPFC Indore from the operation

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/. Filter Co Neemuch (M P.)	MP/1926	1-3-90 to 28-2-93 & 1-3-93 to 29-2-96	DLI/9(17) 95/MP
2.	M/s. Copper Strips (P) Ltd., 7-3 Industrial Estate Govind Pura, Bhopal.	MP/3265	1-12-92 to 30-11-95	DLI/9(6) 95/MP
3.	M/s. Mandelia Chemical Birlagram Nagda (MP-456331).	MP/3143	1-3-88 to 29-2-91 & 1-3-91 to 28-2-94	DLI/9(19)95/MP
4.	M/s. Apple Chemical Industries (P) Ltd., Birlagram Nagda (M.P./456331).	MP/6305	1-6-90 to 31-5-93	DLI/9(15)95/MP
5.	M/s. [illegible] Engineers (P) Ltd., 126, Sector-A Industrial Area, Mandideep Distt. Raisen (M.P.).	MP/6398	1-1-91 to 31-12-93 & 1-1-94 to 31-12-96	DLI/9(1)95/MP
6.	M/s. Trafico Crostile (P) Ltd., 10-A/B Industrial Estate Indore.	MP/768	1-3-89 to 28-2-92 & 1-3-92 to 28-2-95	DLI/9(33)96/MP
7.	M/s. Raipur Alloys & Steel Ltd., P-49 Industrial Area Urkura Raipur.	MP/3561	1-3-92 to 28-2-95	DLI/9(32)96)/MP
8.	M/s. Hotel Saree Maya 12/1 R.N.T. Marg Indore.	MP/4981	1-1-91 to 31-12-93 & 1-1-94 to 31-12-96.	DLI/9(3)96/MP
9.	M/s. Kirloskar Bros. Ltd., 15, Maharani Road Indore (M.P.)	MP/243	1-7-89 to 30-6-92 & 1-7-92 to 30-6-95	DLI/9(8)95/MP
10.	M.P. Oil Extraction Ltd., 22/55, Industrial Area, Bhanpuri, Raipur	MP/3007	1-12-90 to 30-11-93	DLI/9(36)/96/MP

1	2	3	4	5
11.	M/s M P. Agro Fertilisers Ltd., Maharana Pratap Nagar, Bhopal.	MP/3678	1-3-90 to 28-2-93	DLI/9(34)96/MP
12.	M/s Godrej Foods Ltd. Mandideep Dist. Raisen.	MP/5645	1-1-90 to 31-12-92	DLI/9(35)96/MP
13.	M/s. Mandideep Engineering & Packaging Industries (P) Ltd: Reliable House, A-6 Kohefiza Bhopal.	MP/6864	1-2-92 to 31-3-95	DLI/9(16)95/MP
14.	M/s. Raipur bright Steel & Wire Weild Industries Ltd: 8-9 Industrial Area, Raipur.	MP/2589	1-11-89 to 31-10-92 & 1-11-92 to 31-10-95	DLI/9(38)96/MP
15.	M/s. Ratlam Mandsaur Gram Khetriya Bank Opp. Civil Hospital Madsaur (M.P.)	MP/5491	1-2-88 to 31-1-91 & 1-2-91 to 31-1-94	DLI/9(37)96/MP
16.	M/s. Wesman Halvirscheidt Forgings Ltd. Mandideep (Raisen) Including its one branch	MP/7120	1-4-93 to 31-3-96	DLI/9(28)95/MP
17.	M/s. Sanghi Organics Phytochem 7/4 Manik Bagh Road, Indore.	MP/6292	1-3-93 to 28-2-96	DLI/9(14)95/MP

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

D. K. MARWAH
Regional Provident Fund Commissioner

CANTONMENT BOARD

Kanpur, the 25th September 1996

No. S.R.O. O.S./65.—WHEREAS, a notice of draft notification relating to the imposition of Conservancy Tax which the Cantonment Board, Kanpur proposes to impose in exercise of the powers conferred by Section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), was published on 8th August, 1996, a copy thereof affixed in a consipicuous part of the Cantonment Board, Kanpur as required by section 61 read with section 255 of the said Act, inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected thereby till the expiry of thirty days from the date of publication of the said notice;

AND WHEREAS the objections received were considered by the Cantonment Board, Kanpur in its meeting held on 23rd September, 1996;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Kanpur with the previous sanction of the Central Government, hereby levy a tax to be known as Conservancy Tax at the rate of 1% (one percent) per annum on the Annual Rental Value of a house, and or each tenament thereof, assessed for the purpose of house tax.

HARISH PRASAD
Cantonment Executive Offier, Kanpur

Jalandhar, the 24th December 1996

S.R.O. No. JCB/Octroi/4779/C.—Whereas a Draft Public Notice relating to revision of Octroi Bye-laws within the limits of Jalandhar Cantonment was published as required under Section 284 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of 30 days from the date of publication of the said notice;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said draft till the expiry of 30 days from the date of publication of the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (3) of Section 283 read with Section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) with the previous sanction of the Central Government, hereby amends the Bye-laws as under :—

1. They shall come in force from the date of their publication.

2. In the notification of Ministry of Defence vide S.R.O. No. JCB/Octroi/3795/C, dated 12th Nov., 1991 Cantonment Board, Jalandhar :—

   (i) In Bye-law No. 15 in Clause (2) for the figure "Rupees Five" the figure "Rupees Ten" shall be substituted;

   (ii) in Bye-law No. 17, in Clause (2) the words "In any case, the Security deposits of the ASC Contractors lying deposited with the said Depot shall not be released by the said Depot until and unless all the Cantonment Board dues are cleared as per ST 5 issued by the Depot and 'No Dues Certfiicate' obtainable from Cantonment Board Office is produced by the Concerned ASC Contractor(s)" shall be added.

   (iii) In Bye-law No. 59 in Clause (i) for the figure "Rupees five" the figure "Rupees Ten" shall be substituted.

P. DANIEL
Cantt. Executive Officer
Jalandhar Cantt.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997